TITLE CODE : UPHIN49731

राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका

बसावन इंडिया

वर्ष : 3, अंक : 05 आजमगढ़ • नवम्बर 2023 • मूल्य : ₹30



जातीय जनगणना स्पेशल

कवर पेज - डॉ.लाल रत्नाकर

संपादकीय

कितने OBC ?

कितने OBC कहां, आओ इसका पता लगाएं! ये अभियान बसावन इंडिया ने आपनी शुरुआत से ही जारी रखा है। गांव-गांव में जाति की गणना कर, उसका विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसे पाठकों ने पसंद भी किया। अब यह अभियान जन-जन का अभियान बन रहा है,और पक्ष-विपक्ष की राय कोई भी हो, लेकिन हर इंडियन यह जानना चाहता है कि जातियों वाले इस देश में, उसकी जाति की संख्या कितनी है? डॉ. अंबेडकर ने 'इनहिलेशन ऑफ कास्ट' लिखकर इसका दस्तावेज तो तैयार कर दिया था, लेकिन इंडियन समाज जाति में आनंद तो लेता है, पर उसके आंकड़े छपने-गणना करने से डरता है। आखिर क्या कारण रहा होगा, जब 'इनहिलेशन ऑफ कास्ट' का भाषण अंबेडकर नहीं कर पाए? क्या कारण है कि संसद को आश्वस्त करके भी कांग्रेस की सरकार जाति गणना नहीं करा पाई? क्या कारण है कि कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट कई साल से दबाकर रखी गई है?

आज जब AI का युग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ तक पहुँच चुकी है कि हजारों साल पहले मानव जिनोम का पता लगाने में हम सक्षम हैं, पर जाति खत्म करने को उसकी गणना से डरते हैं। क्यों डरते हैं? किस बात का डर है? कहा जाता है कि जाति गणना से जातिवाद बढ़ जाएगा। उसी तरह जैसे आरक्षण से जातिवाद बढ़ता है। यह धारणा डर नहीं बल्कि जातीय वर्चस्व को टूटने से बचने का कुतर्क से ज्यादा कुछ नहीं। डर इस बात का है, लोग उन सूचियों पर सवाल उठा रहे हैं, जो आजादी के बाद इंडिया के दफ्तरों में बनी है। दफ्तर के बॉस के कमरे में लगी पट्टिका में धोबी, कुर्मी, अहीर, कोइरी आदि नदारत क्यों है? और मिश्रा, त्रिपाठी, शुक्ला, पाठक, उपाध्याय से बाहर क्यों नहीं? जिलों में अधिकारियों की सूची में ठाकुर-ब्राह्मण,लाला जैसी जातियाँ 90 से कहीं-कहीं 100% तक लेकिन गड़ेरिया, पासी, मुसहर, राजभर, केवट, नोनिया नदारत है।

अधिकारियों की सूची तो गाहे-बगाहे दिख जाती है, जिसमें थोड़ी डाइवर्सिटी होती है, लेकिन अगर सूची पत्रकारों की, जजों की और सबसे बढ़कर चार दशक से इंडिया की राजनीति में सबसे चर्चित अयोध्या में राम मंदिर निर्माणकर्ताओं की समिति/सूची में एक भी अहीर, कटियार, लोहार नहीं दिखा और दिखा तो क्या दिखा-कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। लेकिन कबीर के शब्दों में ये जग बौराना वाली हालत है, कि लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। शायद इसी आंखे खुलने के डर से बचना-बचाना जाति जनगणना से बचने-बचाने के खेल में तब्दील हो गया है? और ये खेल जब अर्थ की दुनिया में प्रवेश करता है, तो और विकृत हो जाता है। CA की सूची हो तो उसमें 80% अग्रवाल, गुप्ता ही क्यों? मोची की सूची हो तो उसमें एक ही जाति समझ में आती है, क्योंकि 'मोची चाय भंडार' अभी भी अपनी दुकान पर लगाकर देख लीजिए, चाय की दुकान नहीं चलेगी। जबकि चाय की दुकान पर कार्य करके इस देश में सर्वोच्च पद तक भी पहुँच जाने के उदाहरण मौजूद है। ऐसे में जब तक मोची चाय दुकान समता भाव से सम्मान पूर्वक जीवन यापन का सहारा न बन सके, तब तक चमार, भंगी, कोहार, नोनिया, धोनिया की संख्या कितनी है और देश के संसाधनों में हिस्से के साथ, सम्मान के साथ जीवन यापन के अवसर उपलब्ध न हो तब तक जाति की गणना होती रहनी चाहिए। वरना किसी दिन कहीं भी, कोई पद यात्रा करने वाला पूछेगा जरूर कि कितने OBC हैं, यहां पर बताइए? लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब विधायकों के टिकट की सूची निकलेगी तो उसमें सवर्ण जाति प्रेम पर आगे बढ़ने की होड़ नजर आएगी।

फिलहाल बिहार में जाति सर्वेक्षण ने देश के एक नई बहस पैदा की है। गणना में त्रुटियां हो सकती है, लेकिन एक पथ तो प्रदर्शित किया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जाति संबंधी आंकड़े मांगे गए, जो उपलब्ध न होने का हवाला देकर मामले को टाल दिया गया। लेकिन जब सवर्णों का आरक्षण 10% दिए जाने का मामला आया तो कोर्ट ने उसका आंकड़ा नहीं मांगा। ये सवाल फूल ने पूछे, अंबेडकर ने पूछे, मान्यवर काशीराम ने पूछे तो देश में हलचल मची। आज जब हजारों नहीं, लाखों लोग पूछ रहे हैं, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों और सरकारों को मजबूरी में अपने OBC/SC मंत्री गिनाने पड़ रहे हैं। लेकिन अब लोग आरक्षण से आगे प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, ऐसे में न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण, गरिमा पूर्ण जीवन यापन वाला समाज बनाने के लिए देश में जाति जनगणना कराना आवश्यक है क्योंकि फिर किसी को पूछना न पड़े कितने OBC? कौन दलित?

2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, युद्ध हो रहे हैं। देश में संकल्प यात्रायें, अमृत महोत्सव, घर-घर से माटी, चुनाव, देश यात्रा, पदयात्रा और चांद की भी यात्रा भी की कामना अब हमारे दिल में है। ऐसे में जाति जनगणना करने से डर कैसा? फिलहाल बसावन इंडिया का नया अंक आपके समक्ष है।

धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं...

नरेन्द्र

TITLE CODE : **UPHIN49731**
आज़मगढ़ (उ.प्र.) ▪ माह - नवम्बर
सन् - 2023 ▪ वर्ष - 3 अंक - 05

बसावन इंडिया

संपादक
नरेन्द्र प्रताप
मो.: +91 94531 71770

सह-संपादक
डॉ. नरेश कुमार साहू
मो.: +91 99211 10844

प्रबंध संपादक
एड. देशराज (लखनऊ)
मो.: +91 9415767238

सह प्रबंध संपादक
अरविंद कुमार यादव

कंटेंट एडिटर
विक्रमजीत, सुधा सिंह,
कमलेश यादव, मैत्रेयी सिंह

ब्यूरो प्रमुख
दिल्ली एनसीआर - परिभाषा
छत्तीसगढ़ - डॉ. जितेन्द्र सोनकर
मध्यप्रदेश - तेजबहादुर
महाराष्ट्र - अकाश खोब्रागड़े
राजस्थान - डॉ. कालूलाल कुलमी
लखनऊ - विनीत कुमार
प्रयागराज - धैर्य मित्र सिंह
कुशीनगर - कोमल प्रसाद
पूर्वांचल - रमामांत यादव
मिर्जापुर - एस.एम. सबा
बलिया - विनय कुमार
देवरिया - डॉ. सुनील कुमार
गोरखपुर - डॉ. विरेन्द्र कुमार
सरगुजा संभाग - कृष्णा पैकरा

डिजाइन एंड ले-आउट
इरफान खान - +91 93299 60007

संपादकीय कार्यालय
31 शहीद द्वार, आजमगढ़,
उत्तर प्रदेश पिन- 276 001
Email : basavanindia@gmail.com
www.facebook//बसावन इंडिया
+91 9453171770

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी नरेन्द्र प्रताप द्वारा मेट्रो प्रिंटर्स, डी 102, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ, (उ.प्र.) से मुद्रित व शहीद द्वार सिविल लाइन, आजमगढ़ (उ.प्र.), पिन- 276 001 से प्रकाशित

इस अंक की झलकियां

स्मृतिशेष : जातीय जनगणना के पुरखे	7
जातीय जनगणना पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया	8
राजनारायण की जुबानी जाति जनगणना को लेकर राजनारायण का साक्षात्कार	12
जाति आधारित जनगणना के कवरेज	17
जाति जनगणना को लेकर बसावन	19
बसावन इंडिया मंडल ऑडिट : प्रधानमंत्री कार्यालय का ब्राहमण कनेक्शन	21
लौटे लौटन राम	23
पत्रकारों की आलोचना सत्ता को नहीं आ रहीं रास कलम और कैमरे पर पहरा	24
छात्रावास को लेकर बीएचयू में बवाल	26
छत्तीसगढ़ की जीवन शैली का अहम हिस्सा है 'बोरे बासी'	33
सोशलिस्ट - मुलायम सिंह यादव	34

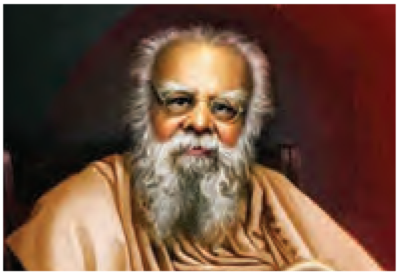
www.theforthstate.in
बसावन इंडिया के आर्टिकल्स द फोर्थ स्टेट डॉट इन पर भी पढ़े जा सकते हैं।



02 **जातीय जनगणना** - 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना को नाम दिया गया...



22 **मंडल कमीशन से लाभ लेकर सभी पदों पर बैठे पिछड़ो के बीच मंडल कमीशन की चर्चा क्यों नहीं?** - भारत में पिछड़ी जातियों की आबादी...



27 **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बहाने** - 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे सी राजगोपालाचारी ने..



30 **मणिपुरः हिंसा का दौर मैतेई और कुकी समुदायों के बीच** - भारत सरकार द्वारा कुकी समुदाय को आदिवासी के दर्जा कारण मैतेई...

जातीय जनगणना



आजादी के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने संसाधनों के बूते देश में पहली जातीय जनगणना करवाई और उसके अंकों को सार्वजनिक किया, बिहार राज्य में सवर्ण, ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या बल का पता चल सका। बिहार सरकार जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कर रहे हैं राज्य में जातीय जनगणना करा कर इतिहास रच दिया। भेद खुल गया है, सवर्णों की आबादी केवल 10% के आसपास है। शासक वर्ग द्विज समुदाय से थे, उनकी जातियों की जनसंख्या बेहद कम है, इसके बावजूद देश के संसाधनों पर उनका ही कब्जा है और शूद्र वर्ग यानी ओबीसी की जनसंख्या अधिक है लेकिन उन्हें किनारे रखा गया। ओबीसी, एससी/एसटी को मिलाकर 85% जनसंख्या है, इसी कारण शासक वर्ग ने जातीय जनगणना नहीं कराई।

> “2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इसने जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना को नाम दिया गया- ‘सोशियो-इकनॉमिक एंड कास्ट सेन्सस’ 4 हजार 893 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार ने जनगणना कराई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। जातीय जनगणना का डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। डेटा के कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह बनाया गया। लेकिन ये साफ नहीं है कि इसने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं. क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।”

▪ **नरेन्द्र प्रताप**

आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में द्वितीय विश्वयुद्ध में व्यस्त रहने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने देश में जनगणना नहीं किया। आज़ाद भारत में 1951 में जनगणना हुई लेकिन केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को गिना गया। पंडित नेहरू और उनके मंत्रिमंडल ने तय किया अन्य जातियों को नहीं गिना जाएगा।

1931 की जनगणना को आधार बनाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिश पर पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दे दिया गया। 27% आरक्षण 60 वर्षों बाद दिया गया। 60 वर्षों में कितनी पीढियां बीत जायेगी इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। आज़ादी के बाद देश में जनगणना तो कई बार हुई लेकिन जातीय जनगणना कभी नहीं हुई। देश में जातीय जनगणना के लिए अभी भी पुराने आंकड़ों से ही काम चलाये जाते रहे हैं।

1971, 1981 जनगणना के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। 1991 की जनगणना में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2011 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हैं।



नीतीश कुमार का जनसँख्या दांव

नीतीश कुमार राजनीति के एक मझे हुए खिलाड़ी हैं। अपने राजनीतिक दाव पेंच की बदौलत वे बहुत लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए हैं और कांग्रेस के सहयोगी दलों के गठबंधन INDIA में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे लोगों में सबसे अग्रिम पंक्ति में हैं। इंजीनियरिंग के छात्र रहे नीतीश कुमार, जेपी की राजनीतिक पाठशाला से प्रशिक्षण प्राप्त हैं।

नीतीश कुमार ने भाजपा के द्वारा चली जा रही बटवारे की राजनीति की हवा निकल दी। दिल्ली उच्च न्यायालय से अवकाश प्राप्त जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में बने रोहिणी कमीशन से पिछड़े वर्ग के बटवारे की नीति को नीतीश ने जाति जनगणना दांव से एक ही बार में चित कर दिया।

2024 के लोक सभा चुनावों के लिए रोहिणी कमीशन को भाजपा का मस्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, रोहिणी कमीशन के द्वारा पिछड़ी जातियों के वर्गीकरण के बारे में है। इस रिपोर्ट के जरिए देश की लगभग 3000 पिछड़ी जातियों में 27% आरक्षण को बटना था, आयोग का मानना है कि चुनिंदा मजबूत जातियों ने आरक्षण का पूरा लाभ लिया है। इसलिए उनके आरक्षण में कमी करके अत्यंत पिछड़ी और कमजोर जातियों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातीय जनगणना के दांव से पिछड़े वर्गों में आरक्षण बढ़ाये जाने की मांग बढ़ गई है, देश के अन्य राज्य में भी जातीय जनगणना कराये जाने की मांग होने लगी है, 2024 में लोकसभा चुनावों में जातीय जनगणना और आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाये जाने की मांग प्रमुख चुनावी मुद्दा हो सकता है, इसका देश की राजनीति पर व्यापक असर हो सकता है।

बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजानिक किए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी, जून 2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

अब तक की हुई अंतिम जनगणना 2011 में जातीय जनगणना तो हुई लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 2014 में कांग्रेस विपक्ष में चली गई। अपने पतन के अंतिम पायदान पर जा पहुंची कांग्रेस एक बार फिर से ओबीसी के सहारे अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करने लगी। फिर उसे सामाजिक न्याय की याद आई। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि भाजपा व कांग्रेस जब सत्ता से बाहर रहती हैं, तब जाति जनगणना के लिए फिक्रमंद रहती हैं और जब सत्ता में होती हैं तब मौन हो जाती हैं। यह कैसा विरोधाभास है? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों ने जाति जनगणना से किनारा किया किन्तु जब वे विपक्ष में रहीं तो जाति आधारित जनगणना की मांग करती रहीं। जैसे विपक्ष में आने पर कांग्रेस ने वर्ष 2018 में जाति आधारित आंकड़े प्रकाशित करने की मांग की थी किन्तु सत्ता में रहते हुए, वर्ष 2011 में कराये गये जाति जनगणना में जातियों के आकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे। आज भले ही बीजेपी, संसद में जातिगत जनगणना पर अपनी भिन्न राय रख रही हो, लेकिन 10 वर्ष पहले जब वह विपक्ष में थी, तब उसके नेता जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। बीजेपी नेता, गोपीनाथ मुंडे ने 2011 की जनगणना से ठीक पहले, 2010 में संसद में कहा था, "अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी जनगणना नहीं करेंगे, तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे"। वर्ष 2019 के चुनाव से पूर्व, तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जाति जनगणना कराने का वादा किया था, जिससे आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई थी।

कांग्रेस और भाजपा जैसी बड़ी पार्टियों को जातीय जनगणना जैसे समाजिक विषयों की याद तभी आती है जब वो विपक्ष में होते हैं। अब कांग्रेस जोर शोर से जातीय जनगणना के पक्ष में मांग उठा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव कहते हैं कि पिछड़ा समाज सदियों से शोषित होता रहा है और पिछड़े समाज को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे देश में जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। यह हमारी हिस्सेदारी है, हमारी भागीदारी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही हमारा 56 परसेंट है। हमको 60% आरक्षण चाहिए। उसी का कांग्रेस पार्टी ने आवाहन किया है।

» बिहार में जाति जनगणना

जाति आधारित जनगणना को प्रकाशित कर बिहार देश का जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य बन गया है। 02 अक्टूबर को बिहार ने राज्य के आंशिक आंकड़ों का प्रकाशन कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से उठ रही है, देश में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, जाति आधारित जनगणना के नहीं होने के कारण संसाधनों समुचित वितरण नहीं हो पा रहा है। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाली प्रणाली आरक्षण को रोजगार के साधन के तरह राजनीतिक अस्त्र के



तेजस्वी यादव : सामाजिक न्याय के युवा झंडाबरदार

उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के युवा झंडाबरदारों में सबसे पहले और सबसे बड़े, किसी का नाम आएगा तो वो हैं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। क्रिकेट खेल के खिलाडी रह चुके तेजस्वी यादव ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शानदार बल्ले बाजी करते हुए अपने विपक्षी पार्टियों को गजब का धोया। तेजस्वी खेल जगत के साथ-साथ राजनीति के भी मझे हुए खिलाडी साबित हुए। अपने पिता लालू यादव की ही तरह उन्होंने वर्तमान में उग्र राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता से निकने के लिए जातीय जनगणना से उग्र राष्ट्रवाद और सांप्रदायिक ताकतों की हवा निकल दी जैसे की लालू यादव ने कमंडल की काट मंडल से लाये थे।

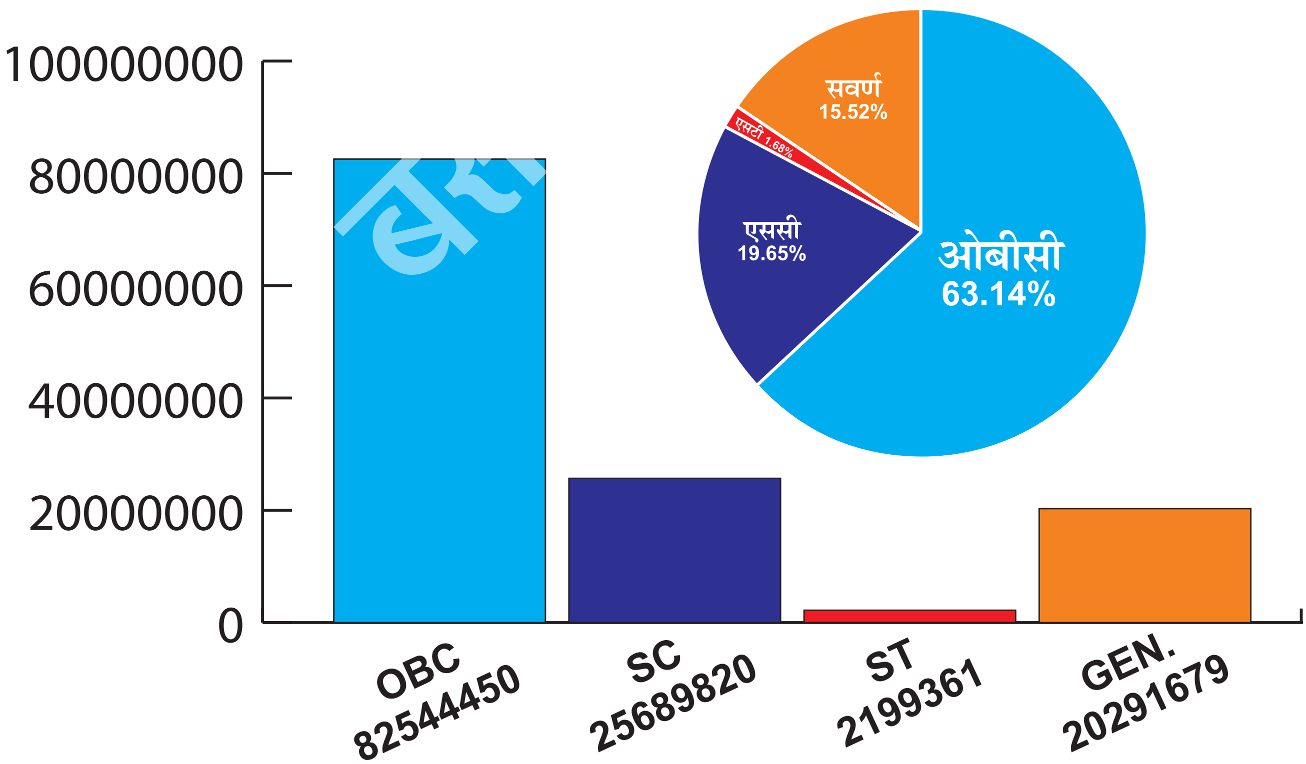
तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में अपनी त्वरित और हाजिर जबाबी के लिए जाने जाते हैं। बिना किसी लाग लपेट के 85% आबादी के प्रति उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। सामाजिक न्याय के मुद्दों पर तेजस्वी मजबूती के साथ खड़े होते हैं जिसका परिणाम है कि बिहार में जद यू के साथ उनकी सरकार बनाते ही जातीय जनगणना के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाई की गई और जातीय जनगणना के आंकड़े स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जारी किये गए।

जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजानिक होने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने इस चीज को लेकर प्रस्ताव रखा था और नीतीश कुमार ने महानता दिखाते हुए हमारी बातों को सुना था। 84-85 प्रतिशत पिछड़ा और अति पिछड़ा के जो लोग हैं उनका आकड़ा अब सामने आ गया है, जो साइंटिफिक डेटा मिला है उसके तहत आप जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी।

तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सवर्ण आबादी के बिना गणना के ईडब्लूएस का आरक्षण दस प्रतिशत कर दिया गया है। देश की पिछड़ी जातियों में फूट डालने के लिए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की वकायत चल रही थी। जाति आधारित जनगणना करवा कर बिहार ने ईडब्लूएस और रोहिणी कमीशन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से लागू किये जाने का रास्ता आसन कर दिया है। समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के कल्याण

बिहार जाति जनगणना से हासिल हुआ

रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27.12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36.01 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत और अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52 प्रतिशत हैं



बिहार जातीय जनगणना

- 27 फरवरी 2020- जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में पास हुआ।
- अगस्त 2021- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात, जाति जनगणना पर आपसी सहमति बनी।
- 23 अगस्त 2021 – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार के 11 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना करने की मांग की।
- 1 जून 2022- जाति जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सर्वदलीय बैठक, सभी दलों की आम सहमति बनी
- 02 जून 2022- कैबिनेट ने जातीय जनगणना के प्रस्ताव को पारित किया।
- 07 -21 जनवरी 2023 के मध्य जातीय जनगणना के प्रथम फेज में मकानों की गिनती हुई।
- 15 अप्रेल 2023- दूसरे फेज के लिए काम शुरू जिसमे परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन आय सम्बन्धी विवरण और आंकड़े जुटाए गए।
- 21 अप्रैल 2023 – जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपील करने का आदेश दिया।
- 04 मई 2023- पटना उच्च न्यायलय ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई।
- 1 अगस्त 2023 – पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना के खिलाफ सारी याचिका ख़ारिज की।
- 02 अगस्त 2023 – जाति जनगणना का कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हुआ।
- 21 अगस्त 2023- जाति जनगणना का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पंहुचा, कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिनों के भीतर जबाब देने को कहा।
- 06 सितम्बर 2023 – सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अगली तारीख तय की।
- 02 अक्टूबर 2023 – बिहार जाति जनगणना के आंकड़े आंशिक रूप से सार्वजानिक किये गए।





लौटन राम निषाद
राष्ट्रीय प्रवक्ता, ओबीसी महासभा

"बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आँकड़े सार्वजनिक करना सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक साहसिक व न्यायसंगत कदम है। बिहार सरकार द्वारा जातिगत आँकड़ों को सार्वजनिक करने की पहल का स्वागत करते हैं, जो लोग अपनी जाति 10 से 12 प्रतिशत बताकर राजनीतिक दबाव बना रहे थे, उनकी असलियत सामने आ गयी है। मंडल कमीशन विरोधी भाजपा बिहार का जातिगत आंकडा सार्वजनिक होने के बाद बौखलाए हुई है। जनगणना रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित भाजपा प्रवक्ताओं की जो प्रतिक्रिया आयी, उससे भाजपा का संविधान और सामाजिक अन्याय विरोधी चेहरा उजागर कर दिया। उन्होंने कहा कि बैकफुट पर आयी भाजपा पिछड़ी, अतिपिछड़ी जातियों को झूठा दिलासा देने के लिए जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय ओबीसी उपवर्गीकरण जांच आयोग व जस्टिस राघवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति-2018 की सिफ़ारिशों को लागू करने का मजबूरी में निर्णय ले सकती है। बिना जातिगत जनगणना के ओबीसी का उपवर्गीकरण सामाजिक न्याय के प्रतिकूल होगा। बिना जातिगत जनगणना कराये ओबीसी का बँटवारा किया गया तो उसका विरोध किया जायेगा।"

के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लक्षित लाभ पहुचने के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले में जाति जनगणना को आवश्यक बताया गया है।

जातीय जनगणना भारत के लिए नया नहीं है। देश में अंतिम जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, जिसके आंकड़ों के आधार पर ही देश के विभिन्न सामाजिक और जातीय समूहों में संसाधनों का वितरण किया गया है, आकड़ों के बहुत पुराने होने के कारण यह वितरण विसंगतिपूर्ण है जिसकी वजह से आज़ादी के सात दशक के बाद भी देश के सबसे बड़े सामाजिक समूह अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय संस्थानों में उसकी भागीदारी नहीं हो मिल पाई।

» जातीय जनगणना के फायदे

बिहार सरकार की जाति आधारित जनगणना अलग अलग जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक हालात का आंकड़ा है जिससमें ऐतिहासिक तौर पर वंचित और पिछड़े समुदायों को ख़ास ध्यान में रखा गया है। इसके सर्वे में अनेक उद्देश्य निहित हैं।

- **सटीक प्रतिनिधित्व**- बिहार में राज्य में अलग अलग जातीय समूहों का सटीक और ताज़ा विवरण पेश करना है। इससे लक्षित नीति निर्माण और असमानताओं से मुक़ाबला करके समग्र विकास को बढ़ावा देने को बल मिलेगा|
- **नीति निर्माण**- उचित नीति के निर्माण के लिए सही और सटीक डाटा बेहद ज़रूरी है। इस सर्वे से नीतिनिर्माताओं को हाशिए पर बसर कर रहे वर्ग के लिए नीति बनाना कहीं आसान होगा और इससे यह भी तय होगा कि जिन्हें संसाधनों की सबसे ज़रूरत है वो उन तक पहुंच पा रहा है।
- **संसाधनों की बराबर खपत**- इस

ज़रिए हम उन वर्गों और समुदायों को पहचान सकते हैं जिनपर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सर्वे से संसाधनों, अवसरों और मौक़ों के बराबर बंटवारे में काफ़ी योगदान मिल सकता है।

- **सामाजिक न्याय-** ये सर्वे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समुदायों की स्थिति पर रौशनी डालकर जाति आधारित असमानता की परतें खोलता है जिससे उन्हें बराबरी का दर्जा मिल सके|
- **पारदर्शिता और जवाबदेही-** ये सर्वे जातीय ज़मीनी असमानताओं को घेरे में रखकर सरकारी पारदर्शिता और उत्तरादायित्व की क़लई खोलता है। इससे सरकार को वंचित तबक़ों के लिए क़दम उठाने और निर्णय लेने में भी मदद मिलती है।

जाति सर्वेक्षण में अपनाई गई प्रक्रिया: यह सर्वेक्षण दो चरणों में किया गया, जिनमें से प्रत्येक के अपने मानदंड और उद्देश्य थे।

पहला चरण:

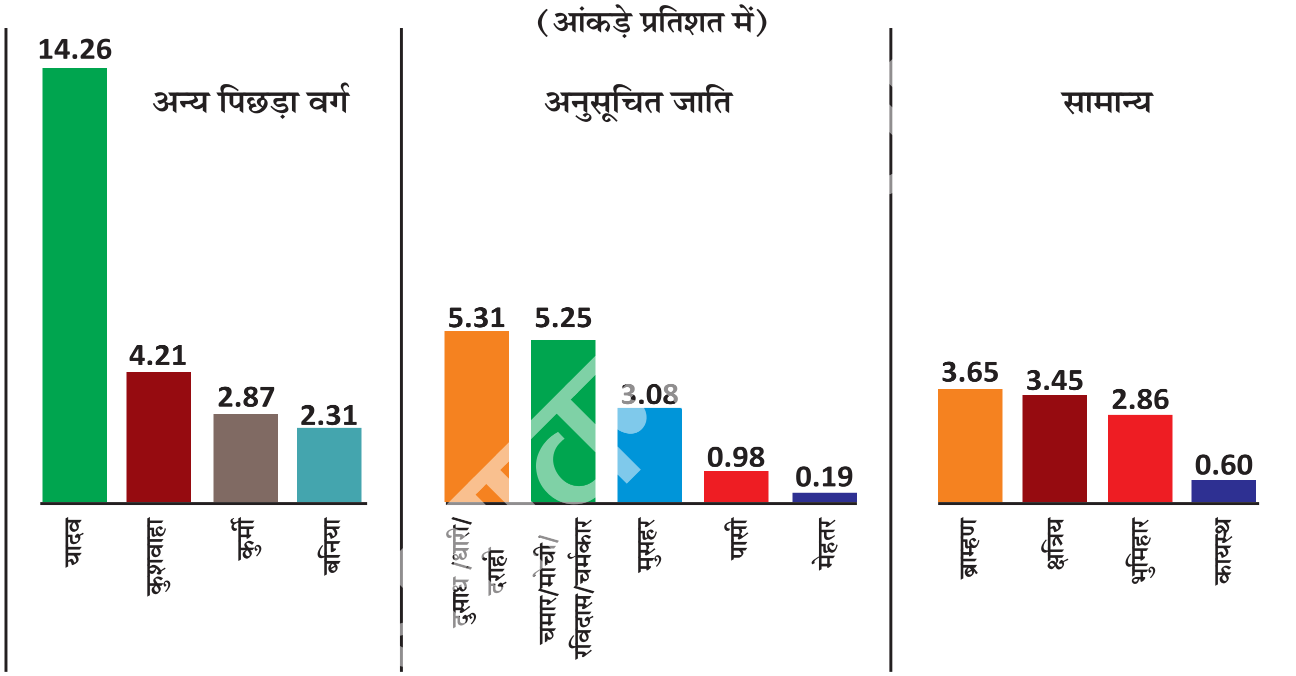
- इस चरण के दौरान, बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई।
- प्रगणकों को 17 प्रश्नों का एक सेट दिया गया था जिनका उत्तर प्रत्यर्थी को अनिवार्य रूप से देना था।

दूसरा चरण:

- इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उप-जातियों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के संबंध में डेटा एकत्र किया गया।
- हालाँकि परिवार के मुखिया का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड संख्या अंकित करना वैकल्पिक था। ▪

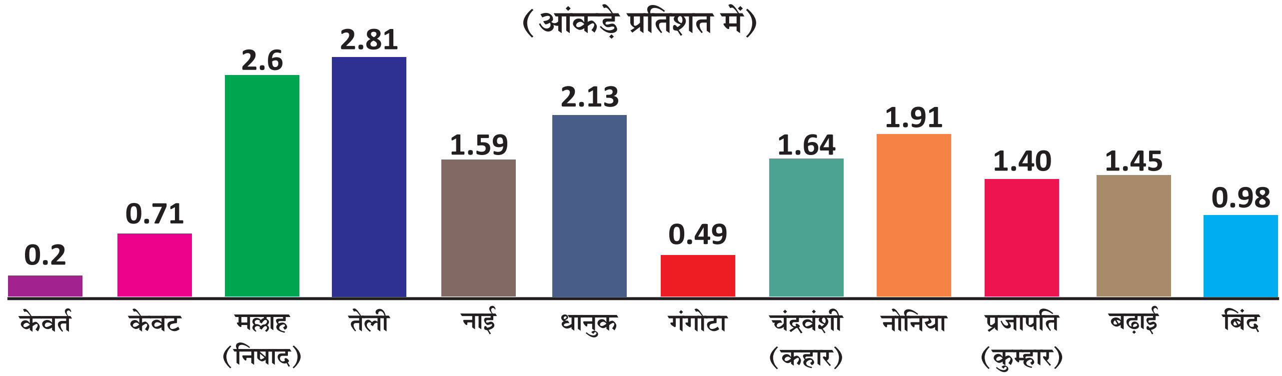
बिहार की प्रमुख जातियां

(आंकड़े प्रतिशत में)



अत्यंत पिछड़े वर्ग की प्रमुख जातियां

(आंकड़े प्रतिशत में)



- स्मृतिशेष -

जातीय जनगणना के पुरखे

जातीय जनगणना को लेकर अलख तो राजनारायण ने जगा दी, लेकिन इसको राष्ट्रीय फलक पर लाने का श्रेय बहुजन समुदाय के ऐसे जननायकों को है जिनके बिना यह कार्य असंभव था। सदन में सत्र के दौरान इन्होने जातीय जनगणना के लिए आवाज उठाई।

“



शरद यादव

हकीकत को पहचानना जरूरी है जाति हकीकत है, हकीकत सामने आ जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जनगणना में हर जाति को शामिल किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक समुदाय की वास्तविक संख्या का पता चल सके। जाति जनगणना के लिए शरद जी के योगदान को लेकर राजनारायण ने कहा की यदि आज शरद जी होते तो बहुत खुश होते। पार्लियामेंट में जब 2010 के बजट सत्र में चर्चा हुई, मुलायम सिंह जी ने शरद जी को ही इस विषय पर नेतृत्व करने के लिए सौंपा था। मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि शरद जी इस विषय पर हमारे बौद्धिक लीडर हैं, इस विषय पर अब यह आगे हम लोगों को और सदन का भी नेतृत्व करेंगे, शरद जी इस विषय के डिबेट की धुरी थे, यदि शरद जी उस दौर में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता की इतनी बड़ी चर्चा सदन में हो सकती थी| देश में सन 1931 के बाद से जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है। मैं भी इसकी मांग हमेशा से करता आ रहा हूं। जिस तरह से राष्ट्रीय जनसंख्या की गणना जरूरी है उसी प्रकार जातिगत जनगणना भी है उसके बिना सामाजिक न्याय प्रदान करना असंभव है।

(स्मृति शेष शरद यादव की फेसबुक वाल से)

”

“



गोपीनाथ मुंडे

आज हम देश के 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित बहस कर रहे हैं। जिनके संदर्भ में अब तक किसी भी सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। इस देश में सिर्फ एक बार 1931 में ओबीसी जनगणना हुई थी। आज 60 साल हुए अपने देश में ओबीसी की संख्या कितनी है किसी को कोई भी खबर नहीं। ओबीसी की जनगणना ही नहीं हुई, तो पता चलेगा कैसे? और अगर हम इस समय भी होने वाली जनगणना में ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे, तो उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? ओबीसी को सामाजिक न्याय के लिए और 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या इतने सालों तक प्रतीक्षा करने वाले ओबीसी पर और 10 साल हम अन्याय ही करते रहेंगे?

(10 मई, 2010 को सदन में)

”

“



मुलायम सिंह यादव

जनगणना जाति के आधार पर हो। इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? जब जनगणना होगी तो लोग घर-घर जाएंगे, गांव- गांव, दरवाजे-दरवाजे जाएंगे तो फार्म में एक ऐसा कालम हो जिसमें जाति हो। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जब काका कालेलकर कमीशन बैठा तो जनगणना के आंकड़े न होने के कारण उन्हें कठिनाई आई।

(10 मई, 2010 को सदन में)

”



जाति जनगणना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस

जातीय जनगणना पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

नरेन्द्र प्रताप के साथ बसावन इंडिया टीम

जाति जनगणना पर इस समय देश दो खेमो में बट गया है। इंडिया के सहयोगी दल जहाँ जाति जनगणना के पक्ष में खुल कर खेल रहे है वहीं भाजपा इस मुद्दे पर फंसी हुई नजर आ रही है एनडीए के कई घटक दल जाति जनगणना के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस

जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी खुल कर सामने आ गई है, कांग्रेस समझ चुकी है कि भाजपा के उग्र राष्ट्रवाद और धार्मिक एजेंडे से निकलना इतना आसन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अद्यतन जाति जनगणना की मांग करते हुए कहा है कि इस तरह के आंकड़ों के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यक्रम अधूरे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा निकले गए एक पर्चे में जाति जनगणना और उसके आधार ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाये जाने की वकालत की गई है जिसमे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है --

जातिगत जनगणना देश निर्माण की जरुरत है जातीय जनगणना साल 1931 में हुई थी। देश की आज़ादी के बाद जनगणना तो हुई परन्तु ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हो सकी। मंडल कमीशन ने अनुमानित आकलन के मुताबिक बताया कि देश में ओबीसी की आबादी 54 फ़ीसदी से अधिक है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद पिछड़ों को प्रतिशत आरक्षण मिला जो आबादी के हिसाब से आधा भी नहीं है। देश में बाघ, शेर, डालफ़िन आदि जानवरों तक की गिनती होती है लेकिन ओबीसी जातियों के आंकड़े सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया। लेकिन, नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा आंकड़ा छिपा लिया। मोदी सरकार में ओबीसी अधिकारों पर दिन दहाड़े डकैती जारी है। उदाहरण देखिए- देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी जातियों के प्रोफ़ेसर नहीं के बराबर हैं। आलम यह है कि इनमें ओबीसी जाति के 70% पद रिक्त हैं। इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बस 7 कुलपति ओबीसी और 3 रजिस्टार ओबीसी हैं। केंद्रीय मंत्रालयों में अतिरिक्त सचिव के पद पर एक भी ओबीसी नहीं है। जबकि केवल 7% संयुक्त सचिव ही ओबीसी हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं भाजपा सरकार में होने वाली हर भर्ती में पिछड़ों के आरक्षण की लूट होती है। यदि जातीय जनगणना होती है तो ना सिर्फ़ ओबीसी जातियों की संख्या पता चलेगी, बल्कि उसके बेहतरी के लिए नीतियों को बनाने में भी मदद मिलेगी। ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे जी ने जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने कई बार जातीय जनगणना को लेकर आवाज़ बुलंद की है। ग़रीबों-पिछड़ों के नेता ने सदी का सबसे क्रांतिकारी नारा भी पिछड़ों के हित में बुलंद किया है।..

राहुल गांधी



देश को जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है और जिनकी जितनी आबादी है, उन्हें उनका उतना हक मिलना चाहिए. बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84 फीसदी हैं. केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ़ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5 प्रतिशत बजट संभालते हैं.''

सपा

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सरकार बनने की स्थिति में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी। इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था। सरकार बनने की स्थिति में तीन माह के भीतर जातीय जनगणना का वादा किया गया था। हालाँकि सपा की उत्तर प्रदेश में सरकार तो नहीं बन पाई लेकिन इस समय इस समय सपा जातीय जनगणना के मुद्दे पर खुल कर खेलती नजर आ रही है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या जमकर खेलते नजर आए। जनवरी में रामचरितमानस के भीतर जातियों को लेकर लिखे गए दोहों का मामला उठाकर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सियासत गरमाई।


स्वामी प्रसाद मौर्य

सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए जाति जनगणना जरूरी

"आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह भारत वर्ष के लिए हर्ष और गौरव का क्षण होता यदि जाति आधारित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए जाति आधारित जनगणना कर आगे बढ़ने का रास्ता अपना लिया होता। मगर ऐसा नहीं हुआ है। देश का सबसे बड़ा तबका अपनी अस्मिता और उपेक्षा को जानने के लिए, आजादी के 75वें वर्ष में भी अपनी जाति जनगणना की बाट जोह रहा है। विदित है ब्रिटिश भारत में 1872 से प्रारंभ हुई जनगणना की दशकीय परंपरा में 1931 तक जातिवार जनगणना होती रही। आजादी के बाद, पहली जनगणना (1951) में जाति जनगणना की परंपरा छोड़ दी गई। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना अनवरत जारी रही। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण और नीतिगत लाभ के लिए सरकारों ने उन आंकड़ों का उपयोग किया। बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के प्रयत्न से भारतीय संविधान में ओबीसी जातियों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 340 का विशेष प्रावधान किया गया। इसी क्रम में पहले काका कालेलकर आयोग और फिर बी.पी. मंडल आयोग का गठन किया गया। बी.पी. मंडल आयोग ने 1931 के आंकड़ों के आधार पर (ओबीसी की संख्या 52%) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सहित अन्य संस्तुतियाँ की थीं। सही आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण स्वयं मंडल आयोग ने जाति जनगणना की आवश्यकता पर बल दिया था। ओबीसी आरक्षण पर फैसला देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जातिवार आंकड़ों की आवश्यकता को रेखांकित किया था ।

जाति जनगणना की आवश्यकता बनी हुई है। जाति जनगणना आवश्यक और अनिवार्य है, बिना जाति जनगणना के काल्पनिक आधार पर ओबीसी के लिए लागु की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के आकड़े और योजनाये हवा हवाई होंगे यह ओबीसी के साथ धोखा है

- आरक्षण को समाज और देशहित में सही तरीके से लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार जातियों के आंकड़ों की मांग की गई है।
- विभिन्न जातियों द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। इनमें करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों की

अखिलेश यादव



जातीय जनगणना 85- 15 में संघर्ष के बजाए सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। अखिलेश ने कहा कि जो लोग दबंग नहीं हैं और सभी के अधिकारों के पैरोकार हैं। वे इसका समर्थन और स्वागत करते हैं। जो लोग वास्तव में अधिकार दिलाना चाहते हैं, वे जातीय जनगणना कराएंगे।

बसपा

बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया था। जो बिना जातीय जनगणना के संभव ही नहीं था। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना कराये जाने की मांग की,

मायावती

दलितों और पिछड़ों को उनका वाजिब हक़ तभी मिलेगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराएगी|

जानें गईं हैं। जातियों के आंकड़े नहीं होने से आरक्षण और विकास 1/9 लिए समुचित नीति बनाना संभव नहीं हो पाया है ।

- जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी होने वाली योजनाओं के लिए समुचित तरीके से धनराशि आवंटित नहीं हो सकी है।
- जाति जनगणना हो जाने से पिछड़ी जातियों के लिए नीति निर्धारण में स्पष्टता और पारदर्शिता आयेगी ।
- इससे संसाधनों के बंटवारे की भी सही जानकारी मिल सकेगी और देशहित में विकास के लिए सही निर्णय लिया जा सकता है।
- अल्पसंख्यक वर्ग में भी जाति विभाजन है। जाति जनगणना से अल्पसंख्यकों में, खासकर पसमंदा मुसलमानों में (जिनके लिए सरकार स्वयं फिक्रमंद दिखती है), जातिगत पिछड़ेपन को चिन्हित करके, उनके उत्थान के लिए योजनाओं को समुचित तरीके से लागू किया जा सकता है।

देश के प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं। ओबीसी समुदाय की अधिकांश जातियां आज भी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। 2017 में आपकी सरकार ने इसको दृष्टिगत रखते हुए पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों के समुचित सर्वेक्षण के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था। इस आयोग को अनेक बार समय विस्तार दिया जा चुका है। जातिगत आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आयोग ओबीसी जातियों का सर्वेक्षण करने में असमर्थ है। इसलिए देश के सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए, साथ ही साथ सभी समुदायों को समुचित नीतिगत लाभ पहुंचाने के लिए, जातीय जनगणना कराना अत्यन्त आवश्यक एवं अनिवार्य है। जब देश में जातीय जनगणना होगी एक ऐतिहासिक क्षण होगा कि ओबीसी समाज के विकास की पहल आपके हाथों सम्पन्न हो। यह कहना कि जाति जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, हास्यास्पद है। जब तक भारतीय समाज में जातियों का अस्तित्व है, जाति एक सामाजिक यथार्थ है। इसलिए उसकी जनगणना से परहेज करना, सामाजिक यथार्थ से मुंह मोड़ना होगा।"

आप अंडर ब्रैकिट कास्ट भी लिखिए। कास्ट तो है, रिकाड्‌र्स ऑफ राइट्स में है, सब जगह है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि हमारी संख्या क्या है?

जेडीयू

जद(यू)
जनता दल (यूनाइटेड)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओबीसी के तेज तर्रार नेताओं में से हैं, जातीय जनगणना को लेकर जनगणना को लेकर उनका रुख स्पष्ट था। भारत में किसी राज्य द्वारा जाति जनगणना करने वाले वो प्रथम मुख्यमंत्री बन गए|

भाजपा एवं सहयोगी दल



आरजेडी

राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना को लेकर सक्रिय थी, जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद ने कई बार आवाज उठा चुके है।

लालू प्रसाद यादव



जाति हकीकत है। हमारे दल की और हमारी पुरजोर मांग है कि आप पूरे देश में जनगणना जातीय आधार पर कराइए और

जाति जनगणना के मुद्दे पर भाजपा बहुत संभल संभल कर खेल रही है। भाजपा को जातीय जनगणना से डर यह है कि इससे अगड़ी जातियों के वोटर नाराज़ हो सकते हैं, इसके अलावा बीजेपी का परंपरागत हिन्दू वोट बैंक ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया इससे बिखर सकता है। बिहार की जातीय जनगणना रिपोर्ट से भाजपा पूरी तरह से सकते में आ गई है अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जातीय जनगणना की मांग उठ गई है, वैसे भी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटा बढ़ने की मांग कर रहा है। भाजपा शासन में

हुई भर्तियों में ओबीसी के 27% कोटे को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। ओबीसी अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य वर्ग से अधिक जा रही है जिसको लेकर एनडीए की सहयोगी पार्टी आपना दल (एस) की प्रमुख अनुप्रिया पटेल आजमगढ़ में आयोजित सभा में खुले मंच से बयान दे चुकी हैं।

केशव प्रसाद मौर्या



उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौर्या भी जाति जनगणना के पक्ष में कई बार बयान दे चुके है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रुप से जाति जनगणना का समर्थक हूं, मैने कभी इसका विरोध नहीं किया। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए।

सब मिला कर यह भाजपा के गले की हड्डी बन गई है। इस मुद्दे पर वह मौन है। पिछड़ा-पिछड़ा का उदघोष करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी जाति जनगणना के मुद्दे पर बचते रहे अब वह गरीब और अमीर के फार्मूले पर बोलने लगे है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुताबिक उनके लिए सबसे बड़ी आबादी कोई जाति नहीं बल्कि गरीब है और ये गरीब हैं जिसे सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है।

अपना दल



अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से जातीय जनगणना कराने की पक्षधर रही है और इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक भी उठाती रही है। उन्होंने जातीय जनगणना को समय की मांग बताया।

अनुप्रिया पटेल



अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल (एस) हमेशा से जाति जनगणना के पक्ष में रहा है। यह देखते हुए कि ओबीसी सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह है, जाति जनगणना समय की मांगहै।

निषाद पार्टी



निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वह जाति जनगणना का समर्थन करते हैं लेकिन जो विसंगतियां हैं वो भी दूर होनी चाहिए। अभी कई ऐसी जातियां हैं जिनको पता नहीं की वह ओबीसी में रहेंगे या अनुसूचित जाति में जायेंगे।

सुभासपा

एनडीए के घटक दल सुभासपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर

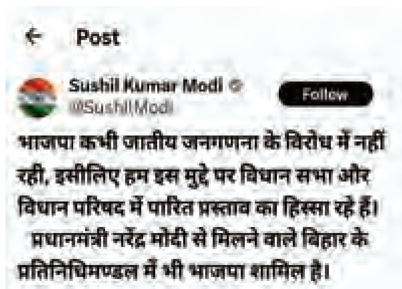


भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। सुभासपा पार्टी का गठन ही इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है। पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है। हर वर्ग के हिस्सेदारी की लड़ाई सत्ता के भीतर और बाहर रहकर भी लड़ती रही है।

अरुण राजभर



भाजपा की सहयोगी सुभासपा के महासचिव अरुण राजभर ने भी जातीय जनगणना को सही करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना की समर्थक रही है। इसके बिना वंचित, गरीब और उत्पीड़ित वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण संभव नहीं है। जातीय सर्वेक्षण डेटा जारी करने के लिए बिहार सरकार को बधाई दी।



इस पेज का शेष पेज नंबर 16 पर है

जनगणना की कहानी राजनारायण की जुबानी

जाति जनगणना को लेकर राजनारायण का साक्षात्कार



राजनारायण : भारत के जाति जनगणना के नायक

बात जाति आधारित जनगणना की हो रही है तो राजनारायण और उनके संघर्षों के बिना पूरी नहीं होती है। जाति जनगणना के लिए संघर्ष करने वालों में राजनारायण एक बड़ा नाम हैं। देश को जाति जनगणना शब्द से परिचित करवाने वाले राज नारायण ही हैं। बहुजन बुद्धिजीवी लेखकों और चिंतकों ने यदि बौद्धिक बेमानी नहीं की होती तो आज देशवासियों की जुबान पर जाति जनगणना के साथ-साथ राजनारायण का भी नाम होता। जाति आधारित जनगणना के लिए राजनारायण ने जनहित अभियान नाम से एक संस्था का गठन किया। जनहित संस्था के बैनर तले राजनरायण जी ने जाति जनगणना के संघर्षों को आगे बढाया। जाति जनगणना की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। दिल्ली से लेकर बिहार के दौलताबाद तक को राजनारायण ने जाति जनगणना कराए जाने के लिए एक कर दिया। बिहार के वैशाली में जाति जनगणना के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया तो दिल्ली में दलित और पिछड़े तबके से आने वाले नेताओं बुद्धिजीवियों से जनसंपर्क स्थापित किया। साथ ही साथ पर्चा और हैंड बिल बनवाकर लोगों में वितरित किया। बिहार की जाति आधारित जनगणना राज नारायण जी के संघर्षों का फल है।

▪ नरेन्द्र प्रताप

» जाति जनगणना की मांग कैसे उठी

जनगणना की मांग का कैंपेन वर्ष 2008 से शुरू हुए आरक्षण के सवाल पर जब हम एम्स में लागू करना चाह रहे थे। उन दिनों एम्स में आरक्षण लागू नहीं था। इस समय मुझे लगा की देशभर में एक आंकड़े की तो बहुत जरूरत है। देश भर में आरक्षण की स्थिति कैसी है इसको जानने के लिए संस्थान से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। जब यह आइडिया मेरे मन में आया तब मुझे लगा कि देश भर से आंकड़े कैसे इकट्ठे किया जाए? क्या स्थिति है? तब मैनें 1931 की जनगणना का अवलोकन किया। उसको पढ़ने की कोशिश तो लगा कि यह तो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, तब हमने एक पर्चा लिखा तमाम बुद्धिजीवी, राजनेता, सबके के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा, कोई रिस्पांस नहीं मिला। लोग हंसते थे। कुछ लोग सामने ही पर्चा मोड कर फेंक देते थे, मैं उसे उठा लेता था सीधा करके उसे रख लेता था किसी और को पढवाता था, उन दिनों बहुत छोटे-छोटे संसाधनों से मुझे यह काम करना पड़ रहा था। कुल मिला कर कहा जाय तो व्यंग करते थे हँसते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब हम लोग संसद के आस पास परचा बाटते थे, कुछ सांसद हम लोगों को नार्थ अवेन्यु के पुलिस चौकी में दिन भर के लिए बंद करवा देते थे, संघर्ष का दौर था मुझे इस बात की ख़ुशी है आज देश जान रहा है, वो जो अकेले सोच बनी थी, लोगों को जोड़ते जोड़ते मुझे इसमें की कामयाबी मिली, मनोबल गिरा नहीं निराश जरूर होते थे। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता रहा, वर्ष 2009 में कार्यक्रम दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित किया। जिसमे सिर्फ बुद्धिजीवियों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया, पूरे दिन इस पर चर्चा हुई। वहां से मुझे एक ताकत मिली सब ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। उस मंच से सभी बातों को इकट्ठा करके हम सांसदों तक धीरे-धीरे पहुंचाना शुरू किया और उन लोगों को एडवोकेसी करने लगे। धीरे धीरे सब चलता रहा। लगभग 187 सांसदों तक हम इस बात को पहुंचाने में कामयाब हुए थे। इनमे से बहुत सारे सांसदों ने उस विषय पर हस्ताक्षर भी किया था। हम उन लोगों को समझा रहे थे कि इस विषय की कितनी जरुरत है। यदि पार्लियामेंट में



जनहित अभियान

a campaign for people voice...

Office: B-7, Saraswati Complex, Subhash Chowk, Laxmi Nagar, Delhi – 110 092
Contact: 9891309626
E-mail: janhitabhiyan@gmail.com

दिनांक : 18 नवम्बर 2021

आखिर देश में जाति जनगणना क्यों जरूरी है ?

आखिर पता तो चले वो कौन लोग हैं जो मुख्यधारा में आने से छूट गए हैं ? उनकी समस्या क्या है ? किन कारणों से पिछड़ गए हैं ? समाज में उनकी हैसियत क्या है ? वो कौन लोग हैं जो देश के संसाधनों पर कब्जा जमाये बैठे हैं ? वो सभी किन किन जातियों, धर्मों, संप्रदायों से तालुक रखते हैं ? बिना सही आँकड़ों के ही अब तक सरकार नीतियाँ बनाते आ रही है। जब तक सरकार के पास सही जानकारी नहीं होगी तो वह लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए नीतियों का निर्धारण कैसे करेगी ? एक तरफ देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो दूसरी ओर इस मुल्क के लोगों के उत्थान की नीतियाँ आज भी 1931 के पुराने आँकड़ों के आधार पर बनाई जा रही है। इस मुल्क के हर लोगों के चेहरे *पर मुस्कान कैसे आए यह एक चिंतनीय प्रश्न है हम सभी के लिए ???* आइए जनहित अभियान द्वारा वर्ष 2008 से चलाई जा रही मुहिम **"जाति जनगणना अभियान"** से जुड़िये एवं इस माँग के समर्थन में ज़ोरदार आवाज उठाइये।

राजनारायण
राष्ट्रीय संयोजक, जनहित अभियान

संकल्प अधूरा है

यह जनहित अभियान की बिल्कुल अधूरी लड़ाई है, जनहित अभियान का संकल्प है और जनहित अभियान उस समय जिस संकल्प के साथ चला था कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर कैसे जाति आधारित जनगणना कराई जाए, और यह जनगणना, जनगणना विभाग के द्वारा भी होनी चाहिए, जनगणना अधिनियम के द्वारा होनी चाहिए। इसमें बहुत लोग उलटी सीधी बाते कर रहे हैं कि जनगणना अधिनियम के साथ नहीं हो सकती, जनगणना विभाग नहीं कर सकता। जबकि उस समय, 2010 के पहले, उस समय के जनगणना विभाग के कमिश्नर, सेंसस डिपार्टमेंट के कमिश्नर से हम लोगों ने आरटीआई के जरिए इसकी जानकारी ली थी कि क्या यह टेक्निकली संभव है या नहीं? आरटीआई के जवाब में वर्ष 2009-10 में ही जवाब मिला था कि चूँकि यह सरकार का पॉलिसी मैटर है। गवर्नमेंट यदि चाहे तो देश में जाति आधारित जनगणना कराकर, जनगणना के आंकड़े सामने लाने में कोई आपत्ति नहीं और कोई दिक्कत भी नहीं है। यह संभव है, हो सकता है।

सवाल उठे तो इस विषय पर आप लोगों का समर्थन रहेगा या नहीं रहेगा?

» सबसे अधिक सहयोग किसका मिला

मुझे लगता कि पार्टी से इतर सभी सांसदों ने मुझे समर्थन दिया था। उसी दौरान 2010 में इस विषय पर शरद जी की नजर पड़ी इस विषय पर तो उन्होंने मुझे बुलाया। हम गए उनसे मिलने के लिए, उन्होंने भी मेरे इस हस्ताक्षर पेपर दस्तखत किया। लेकिन उन्होंने मुझसे एक सवाल उठाया कि यह काम तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विषय है जरूरी सवाल है यह, लेकिन इसे फैलाओगे कैसे? चर्चा में कैसे लाओगे? सुनेगा कौन तुम्हारी बात? सर्दी की रात थी रात के करीब दस बज रहे थे। चादर ओढ़े वो कमरे से बाहर आये, हलांकि उस समय लोग बाहर नहीं निकलते, कमरे से आए उसमें लोग है, लेकिन वह आकर हम जैसे लोगों से मिले और उन्होंने हमारा हौसला बढाया। बाकी लोग तो हौसला को तोड़ रहे थे, जितने भी लोगों से मिल रहा था, लोगों ने हंसने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको फैलाओगे कैसे? मैंने कहाकि सर आप इसमें समर्थन दे रहे हैं? अगर आप का समर्थन है तो इसको मैं फैला लेने में कामयाब होऊंगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा समर्थन है, यह बहुत जरूरी सवाल है। मैंने कहा कि इस पर दस्तखत आप भी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कितने लोगों से ऐसा करा चुके हैं, तभी मेरे पास 7-8 लोगों का दस्तखत हो चुका था। मैंने कहाकि सभी सांसदों के बीच हम जा रहे हैं। अपनी बात पहुंचा रहे हैं इसको पार्लियामेंट में डिबेट का विषय बनाया जाए। शरद जी ने कहा था हाँ! अगर ऐसा है तो बहुत बेहतर होगा और फिर धीरे धीरे मेरा कार्यक्रम चलता रहा।

» संसद में बहस

2010 के बजट सत्र के दौरान यह विषय चर्चा में आया। तब लगातार पार्लियामेंट में डिबेट होती रही। 7 दिन हॉउस नहीं चला लगातार इस विषय पर चर्चा हुई। एक आम राय से पार्लियामेंट में यह डिबेट तय हुई जिसमे आने वाली जनगणना के साथ प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य सदन में जारी हुआ। मै अवगत हुआ कि सदन की भावना का ख्याल रखते हुए आने वाले 2011 की सेंसेस में कास्ट को काउंट किया जाएगा। देश में देश के लोगों ने जाति आधारित जनगणना के सवाल को पहली



संसद सत्र में जातिगणना

बार बड़े लेवल पर सुना। संसद में भी पहली बार इस तरह की डिबेट हुई, लेकिन धीरे-धीरे जाति व्यवस्थाओं के ठेकेदार जो सिस्टम में मजबूती से बैठे थे इसको जनगणना से अलग कर दिया। उस दौर में हम लोगों ने यह सवाल उठाया था कि जो कवायद की जा रही है उससे अब जनगणना का मामला उलझ जाएगा और देश के संसाधनों का दुरुपयोग हो जाएगा। जो ठीक वैसा ही परिणाम आया जो आज तक नहीं आ पाया, जनगणना का मामला उलझ गया। करोड़ों गलतियां हुई सरकार ने डाटा दिया कि 9 करोड़ से अधिक गलतियां हो गई, सुलझाने के लिए प्रयास किया गया। अरविंद पनगढ़िया जो

जाति जनगणना के मुद्दे पर भ्रमित कर रही थी सरकार

लोगों ने कहा अब हो नहीं पाएगा, और कहीं लोग कुछ बोलने लगे, लोग कहने लगे कि जनगणना हो रही है, लेकिन हम लोग जान रहे थे की जाति जनगणना नहीं हो रही है, सरकार सिर्फ एक तरह से नौटंकी कर रही है। इसका रिजल्ट गड़बड़ होगा, बात फैलती रही-फैलती रही, हम लोग सम्मलेन करते रहे, बंद नहीं किया, लोगों को इकठ्ठा करके बताते रहे यह कार्यक्रम चलता रहा सांसदों तक बात पहुचाते रहे।

पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, वो भी नहीं सुलझा पाए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जो काम कांग्रेस ने शुरू किया था वही काम बीजेपी ने भी किया और दोनों ने मिलकर इस को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

» मुद्दे को दिल्ली से बाहर ले जाया गया

देश में फैले कैसे? इस विषय पर चर्चा हुई, इसको लेकर हम लोगों को कुछ साथी मिले। जिन से आग्रह किया कि से कम से कम एक लाख परचा छाप दिया जाए। लोगों ने धीरे धीरे करके परचा हम लोगों को सुलभ कराया। उसको लेकर हम सबसे पहले लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में घूम-घूम के हम लोगों ने उसे लोगों में बटना शुरू किया और वहां के लोगों को अवगत कराना शुरू किया।

» लेकिन जब वो परचा धीरे धीरे फैला

लखनऊ 2010 में यादव बौद्धिक फाउंडेशन के सचिव के के यादव का सहयोग लगातार मिला। उसमें एक बीके सिंह यादव हुआ करते थे। बी के के यादव जी की भूमिका बड़ी रही इसमें, जब वो जान गए तो लगातार सहयोग किया। उन्होंने बताया कि इस विषय पर हम लोगों ने भी दिल्ली में सम्मेलन किया था लेकिन रिस्पांस नहीं मिल, हम पूरा समर्थन आप को देते हैं। इस मुहीम को आगे चलाइए। फिर लखनऊ में मेरी पैठ बन गई। फिर वहां कई तरह के कार्यक्रम आने वाले समय में आयोजित किये गये। बड़े बड़े कार्यक्रम वहां भी होने शुरू हो गए। इस तरह से अलग-अलग राज्यों में मैंने प्रवेश किया फिर परचा के माध्यम से अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाई। लोग-देश में जानने लगा लेकिन जनगणना डीरेल्ड हो गयी। तमाम प्रयासों के बावजूद जनगणना डीरेल्ड हो गया।

» बुद्धिजीवियों का मिला सहयोग

बुद्धिजीवियों तक भी बात पहुंचाते रहे, सम्मेलन भी करते रहे, सभी सांसदों को बुलाते रहे। समय-समय पर लगभग हर दल के सांसद ने कार्यक्रम में शिरकत किया। उनमें भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे तो कांग्रेस के लोग भी रहे, सबने सपोर्ट किया। शरद यादव जी ने इस विषय को पकड़ा तो पूरे जीवन इसे छोड़ा नही। वो हमेशा इस पर चर्चा करते रहे और उनके प्रभाव से ये मुद्दा देश भर में, सदन में और सदन के बाहर भी चर्चा का विषय बन गया। जब भी मौका मिलाता तो वही सवाल को जरूर खड़ा करते, शायद आज वो होते तो बहुत खुश होते।

» कांस्टीट्यूशन क्लब में बनी रणनीति

5 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लबमें एक बैठक आयोजित की। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सिर्फ दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में कार्यक्रम चलाने से बात नहीं बनेगी। इस को सीधे जनता तक कैसे ले जाया जाए, इस पर मंथन करना चाहिए। गांव-गांव, हाट बाजार, चौपाल सब पर इसको लेकर कार्यक्रम होना चाहिए। यह निर्णय हुआ साधन था नही, निर्णय हुआ कि एक रथ बनायेंगे, साधन हम लोग नहीं जुटा पाए कोई सहयोग भी नहीं करता है। बहुत कठिन संघर्ष हो गया लेकिन फैसला हो गया तो लोगों ने कहा की कोई किराये पर रथ बनवा कर लोगों के बीच हम लोग इसे फैलाएँगें। तब तक



सत्याग्रह आश्रम भितिहरा, पश्चिमी चंपारण, बिहार में जनसंपर्क अभियान

कोविड आ गया और अभियान इससे प्रभावित हो गया।

» जाति जनगणना रथ

2021 से हम लोगों ने 15 जनवरी 2021 को बिहार में जातीय जनगणना रथ निकला। गांधी के सत्याग्रह की धरती बिहार से इस कार्यक्रम की शुरूआत की। इसको लेकर बिहार के कई जिलों में हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया। तब तक नीतीश कुमार जी की इस विषय पर नजर गई। उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा और पहला बयान उन्होंने दिया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। एक बार हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है तभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे, उनके इस तरह के वक्तव्य से थोड़ी सी हलचल मची। और फिर नीतीश जी कवायद करते रहे। इस विषय को आगे बढ़ाते रहे,

15 जनवरी 2021 से जो बिहार में रथयात्रा शुरू की थी। पहले भी 2012-13 में बिहार में कई कार्यक्रम में, बड़े-बड़े स्तर पर लगातार चल रहा था। हम लोग छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे थे। इन सारी कवायतों के बीच जब बिहार में यह सब रिजल्ट आ गया, पटना हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, हम लोग 29 जुलाई 2023 से पुनः बिहार में फैसला लिया, डोर- डोर जनसंपर्क संवाद कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए हमने लोगों को चुना, साथियों ने तय किया कि इस बार सत्याग्रह स्थल बिजेरवा, चंपारण से यह कार्यक्रम शुरु होगा और सकारात्मक रिजल्ट मिला। लोकतंत्र की धरती बिहार में वैशाली है जो दुनिया में लोकतंत्र के लिए जानी जाती है और उसी धरती ने पॉलिटिकल लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने का संदेश दुनिया को दिया। यह कार्यक्रम वहां से शुरू किया जाय। हम लोगों ने यह फैसला किया कि हम लोग वैशाली के



महिलाओं के बीच जनहित अभियान

बिहार ने पहल की

जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो नीतीश जी ने इस विषय को आगे बढ़ाए। आज बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो जातिगत आंकड़ों को उसकी गणना करके सामने लाया, लेकिन इससे बहुत बड़ा लाभ अभी नहीं मिल पाएगा।

गांव गांव जाएंगे और इस बात को रखेंगे। एक विधानसभा को चुनते हैं। एक संसदीय क्षेत्र में लोगों को सीधा वोटर्स से कनेक्ट करते हैं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है? हम लोग वहां लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं इस इस कड़ी में वैशाली संसदीय क्षेत्र के एक लाख लोगों से सीधे संवाद करने की योजना है।

» जनगणना का वैज्ञानिक स्वरुप

2010 के पहले यह बात भारत सरकार का सेंसस डिपार्टमेंट कह चुका है। अब सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। चाहे वह कांग्रेस हो या बीजेपी हो। फैसला इन्हीं दोनों को लेना है। यही देश की दो बड़ी पार्टियां हैं। इन्हें ही तय करना है कि हासिये पर छूट गए लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना है या अभी और भी हाशिए पर लंबे समय तक रखना है। एक तरफ देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश इस मुल्क में कौन लोग हासिये पर रह गए हैं, सरकार को पता ही नहीं है। आज भी 1931 की जनगणना के पुराने आंकड़ों के आधार पर ही कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही है जो कि सरासर गलत है। अन्याय है इस वर्ग के साथ, उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ है। अब जनहित अभियान जो बिहार में उतरा तो जनहित अभियान ने फैसला ले लिया कि सरकार इस विषय पर सिर्फ नूरा कुश्ती करती रही है इसे वोटरों से


Subhashini Sharad Yadav

आज ऐतिहासिक जनगणना होने पर जनहित अभियान के कर्मठ, समर्पित और साहसी साथी भाई राज नारायण जी, जिन्होंने जातिगत जनगणना करवाने के लिए प्रमुख भूमिका निभाई है, उनका संघर्ष बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक है। आज बिहार से शुरुआत हुई है, मैं आशा करती हूँ की ये लड़ाई वह आगे भी लेकर जायेंगे।

यह उनके एक लंबे संघर्षों का परिणाम है, राज नारायण जी का खास लगाव रहा है पिताजी से,

साहब आज अगर होते तो उनकी पीठ जरूर थप थपाते और बहुत खुश होते।
राज नारायण जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ।

https://www.facebook.com/rajnarayan.abhiyan?mibextid=LOOJ4d

कैसे कनेक्ट किया जाए?

आगे जो 29 जुलाई 2023 से चरणबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। अभी तीसरे चरण का कार्यक्रम पूरा करके मैं दिल्ली लौटा हूँ। संसाधन जैसे जैसे मिलेगा वैसे- वैसे इस कार्यक्रम की गति को और हम तेज करते जाएंगे। इसको सीधा वोट से कनेक्ट करके एक प्रभाव खड़ा करना चाहते हैं कि सरकार में यह बात जाए कि अगर अब इसको टाला गया तो

बौद्धिक लीडर शरद जी

"आदरणीय श्री शरद यादव जी के बौद्धिक विचार वे सोच रहे थे कि तमाम तरह की गैर बराबरी को दूर करने का जो फार्मूला हम लोगों ने शरद जी को बताया कि तमाम बीमारियों का एकमात्र एंटीबायोटिक जाति आधारित जनगणना है, जो मिथक है वो वह हट जाएगी। एक सही ठोस निर्णय पर देश में चर्चा होगी उसके आधार पर देश में सही नीतियां बनेगी जो शरद जी का सहयोग मिला। शरद जी का जो विचार था उन विचारों को लेकर हम लोग, लोगों के बीच भी जा रहे हैं कि शरद जी चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो। देश से गैर बराबरी मिटे, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। राजनीतिक मूल्यों में स्वच्छता आए फिर से वह मूल्य स्थापित हो। समाजवाद की विचारधारा आगे बढ़े। जाति जनगणना के साथ साथ हम लोग यह कैम्पेन गांव-गांव में चला रहे है, जब तक जातीय जनगणना हो नहीं जाती है, कार्यक्रम जारी रहेगा। यह अथक प्रयास है संघर्षो का परिणाम है, पार्लियामेंट में जब 2010 के बजट सत्र में चर्चा हुई, माननीय आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी ने शरद जी को ही इस विषय पर नेतृत्व करने के लिए सौंपा था। मुलायम सिंह जी यह कहा था कि शरद जी इस विषय पर हमारे बौद्धिक लीडर हैं, इस विषय पर अब यह आगे हम लोगों को और सदन को भी नेतृत्व करेंगे, शरद जी इस विषय के डिबेट के धुरी थे, यदि शरद जी उस दौर में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता की इतनी बड़ी चर्चा सदन में हो सकती थी। शरद जी ने जो प्रस्तावना लिखा है उसमे इस बात को कोट किया है की किस तरह से जनहित अभियान के लोगों ने इस बात को घर-घर जाकर सांसदों को समझाया और उसको समझा कर इस विषय पर चर्चा करने के लिए अवगत कराते हुए उनको एक प्लेटफार्म पर लाया।"



सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ राजनारायण

उसको चुनाव में नुकसान हो सकता है। चाहे किसी की भी सरकार बने या जिस की सरकार है सबके लिए हम लोग यह काम डोर टू डोर जनसंपर्क करके गावं के स्तर से संदेश देना चाहते हैं, उन मूल्यों को स्थापित करना चाहते हैं जो मूल्य पीछे छूट गए हैं।

» नही मिला अपेक्षित सहयोग

हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से पिछड़े वर्ग का समर्थन मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला। एक अभिलाषा थी मेरी की एक रथ बनाऊ और पूरे देश में इस रथयात्रा को लेकर निकला जाए कि जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है? जाति जनगणना अभियान को लेकर एक प्रयास किया जाय, ना तो किसी पोलिटिकल पार्टी ने सहयोग किया और न ही देश की बहुसंख्य आबादी, 1 भी देने की हिम्मत दिखाई। हम लोगों ने एक रूपया भी मांगा कि 1 दे दीजिए उससे रथ बन जाएगा, बहुत बड़ा कारवां हम देश भर में शुरू कर देंगे।

» संघर्ष जारी रहेगा

मुझे इस बात की ख़ुशी है लेकिन अभी यह लड़ाई अधूरी है, अभी तो बिहार में सिर्फ ए लेमनचूस मिला है, लेमनचूस से बच्चों को थोड़ी देर के लिए फुसलाया जा सकता है उसका स्थायी समाधान नहीं निकला जा सकता है। जब तक देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना विभाग के द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती है। तब तक तैश में जनहित अभियान की यह लड़ाई अधूरी रहेगी तबतक यह आवाज उठता रहेगा, जनहित अभियान देश के बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक पार्टियों से कि केन्द्रीय सरकार पर इस पर दबाव होना चाहिए कि जनगणना अधिनियम ने अंतर्गत जनगणना विभाग से जनगणना करवाईये, जनगणना विभाग भाग नहीं सकता है, वर्षों पहले यह आरटी आई के जरिये वह जबाब दे चुका है, तब सही रिजल्ट आएंगे। वैज्ञानिक आकड़े निकल कर आएंगे। पिछली बार लगभग 5 हज़ार करोड़ रुपए हुआ। जनहित अभियान के बौद्धिक और वैचारिक आन्दोलन के परिणाम स्वरुप देश में जाति आधारित जनगणना करने का फैसला हुआ। सदन में चर्चा हुई। चर्चा के परिणाम स्वरुप फैसला लिया गया। लेकिन जो फैसला लिया गया, जो कवायत शुरू की गई उसमे लगभग पांच हज़ार रुपए का बंदर बाँट हो गई और रिजल्ट जीरो हो गया, भविष्य में एसी गलती न हो जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद न हो इस लिए यह काम सिर्फ और सिर्फ जनगणना विभाग का है, भारत सरकार का जनगणना विभाग जो कार्यरत है उसके तहत, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ▪


राजनारायण जी के साथ जवाहर लाल राय, राज किशोर यादव, आलोक कुमार, दीप नारायण यादव, हरिश्चंद्र यादव, हेमंत व अन्य साथी

- पेज नंबर 11 का शेष -

बिहार में भाजपा के प्रमुख नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भाजपा कभी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही, इसलिए हम इस मुद्दे पर विधान सभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं। वर्ष 2011 में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने जाति जनगणना के पक्ष में संसद में पार्टी का पक्ष रखा था। उस समय केंद्र सरकार के निर्देश पर ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों ने जब सामाजिक, आर्थिक, जातीय सर्वेक्षण कराया, तब उसमें करोड़ों त्रुटियां पायी गईं। जातियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। भारी गड़बड़ियों के कारण उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वह सेंसस या जनगणना का हिस्सा नहीं था। देश के कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जातीय जनगणना के पक्ष में बयान दिए हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर वेट एंड वाच की स्थिति में है फ़िलहाल जाति जनगणना की काट नही मिल पा रही है। जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन होने के बाद राम भरोसे सत्ता तक पहुचने के प्रयास करेगी। ▪


नरेन्द्र प्रताप
मो.न. +91 94531 71770

इस पेज का शेष पेज नंबर 16 पर है

जाति आधारित जनगणना के कवरेज

जनसत्ता, दिल्ली, 15 दिसंबर, 2009

जाति आधारित जनगणना की मांग

जनसत्ता संवाददाता

हिन्दुस्तान 07 सितंबर 2023

जातीय गणना पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, विसं। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार में जातीय गणना को जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 3 अक्तूबर तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने इस मामले के एक पक्षकार द्वारा सुनवाई स्थगित करने के आग्रह को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया है।

'अगर कोई व्यक्ति जाति विवरण देता है, तो इसमें क्या नुकसान है'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 18 अगस्त।

बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह सर्वेक्षण लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पूछा कि अगर कोई व्यक्ति बिहार में जातिगत सर्वेक्षण के दौरान जाति या उप-जाति का विवरण प्रदान करता है तो इसमें क्या नुकसान है। यदि किसी व्यक्ति का डेटा राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन भट्टी की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के एक अगस्त के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू की, जिसमें जातिगत सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। इनमें से कुछ याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह सर्वेक्षण लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

पीठ ने गैर-सरकारी संगठन 'यूथ फार इक्वेलिटी' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन से पूछा, अगर कोई अपनी जाति या उपजाति का नाम देता है, और यदि वह डेटा प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो (इसमें) नुकसान क्या है। जो जारी करने की बात की जा रही है वह केवल संचयी आंकड़े हैं। यह निजता के अधिकार को कैसे प्रभावित करता है? क्या सवाल हैं (सर्वेक्षण के लिए तैयार प्रश्नावली में) ऐसे क्या सवाल हैं, जिससे आपको लगता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के विपरीत है। यह एनजीओ उन याचिकाकर्ताओं में से एक है, जिन्होंने जातिगत सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती दी है। बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि जातिगत सर्वेक्षण छह अगस्त को पूरा हो गया था और एकत्रित डेटा 12 अगस्त तक अपलोड किया गया था।

जनसत्ता 19.08.2

हिन्दुस्तान, 04 अगस्त 2023
• पांच प्रदेश • 21 संस्करण

बिहार में जातीय गणना के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बिहार में जातीय गणना (सर्वेक्षण) को जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने उन तथ्यों पर विचार किए बगैर रिट याचिका खारिज कर दी कि बिहार सरकार द्वारा 6 जून, 2022 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जाति आधारित गणना/सर्वेक्षण को अधिसूचित करने की क्षमता नहीं है।

इससे पहले बिहार सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल कर आग्रह किया था कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जाती है तो उसका पक्ष सुने बगैर आदेश पारित नहीं किया जाए।

जातीय गणना से निजता का हनन कैसे: सुप्रीम कोर्ट

'जाति गणना और ओबीसी मंत्रालय का गठन जल्द हो'



अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जल्द किया जाना चाहिए। अपना दल एस लोकतंत्र के सभी स्तंभों में सामाजिक विविधता की पक्षधर रही है।

प्रभात खबर 01 सितंबर 2023

देश में जातीय आधारित जनगणना की मांग

मुजफ्फरपुर. जनहित अभियान के जिला संयोजक नरेश कुमार सहनी ने गुरुवार को प्रेस रिलीज जारी किया है. इसमें कहा है कि बीते कई दिनों से राष्ट्रीय संयोजक राज नारायण के नेतृत्व में जाति जनगणना के सवाल को लेकर वैशाली संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क संवाद कार्यक्रम चलाया गया था. इसके बाद अभियान केंद्र की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गयी है कि दो साल विलंब हो चुके दशकीय जनगणना अविलंब शुरू की जाये. साथ ही देश जाति जनगणना कराये. इसे शुरू होने तक अभियान जारी रहेगा.



जनहित अभियान के रैली में शामिल लोग







सोशल मीडिया में जाति जनगणना







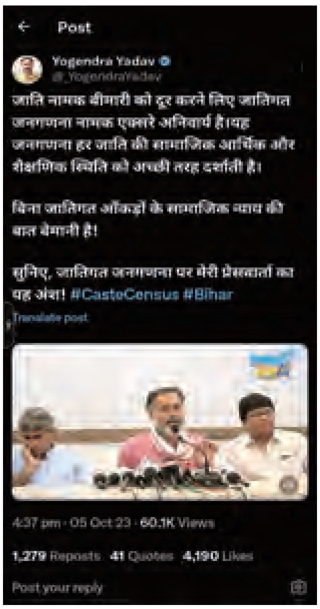






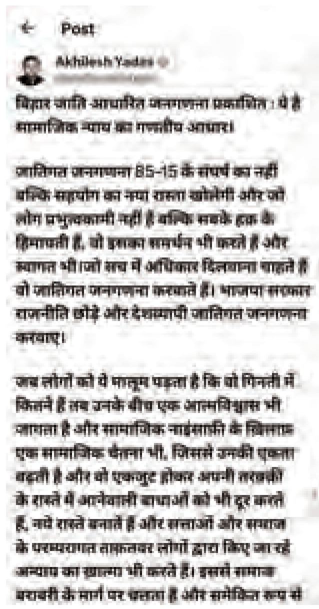










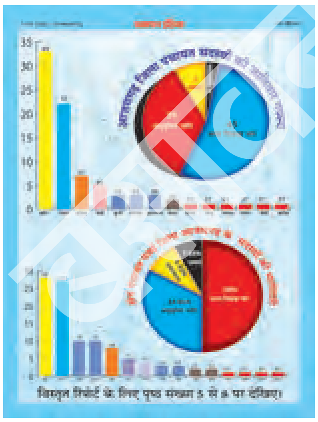


जाति जनगणना को लेकर बसावन

▪ बसावन इंडिया डेस्क

बसावन इंडिया अपने प्रवेशांक से ही देश में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही है, बसावन इंडिया के जाति आधारित जनगणना की मुहीम रंग लायी, आज देश में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर शोर से उठाने लगी है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसमें जाति आधारित जनगणना हुई और आंकड़े भी पेश किए। बिहार की जाति आधारित जनगणना का स्वागत किया जाना चाहिए। बिहार की तर्ज पर देश कई राज्यों में भी जाति आधारित जनगणना कराये जाने की मांग उठाने लगी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाओं के दौरान दबी जुबान में जाति आधारित जनगणना की मांग उठी लेकिन सवर्ण वोट बैंक के चक्कर में कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बोल नहीं सका लेकिन अब बिहार की पहल पर देश में जाति आधारित जनगणना 2024 के आम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इसे जोर शोर से उठाने लगी है ये अलग बात है कि 2011 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना पर कांग्रेस ने लोगों को बरगलाया था लेकिन इस बार भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट ओबीसी मुद्दे और जाति आधारित जनगणना केंद्र में हैं। जाति आधारित जनगणना के लिए कई राज्य तैयार बैठे हैं। जनगणना तो वैसे केंद्र का विषय है लेकिन कुछ विशेष प्रावधानों के साथ साथ राज्य भी जनगणना करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय को मजबूत किये जाने और देश की सबसे बड़ी आबादी को उसका हक़ दिए जाने के लिए बसावन इंडिया लगातार प्रयासरत रही है। बसावन इंडिया ने रेगुलर कालम के रूप में अब तक देश के अलग – अलग क्षेत्रों से दस गाँव की जाति आधारित जनगणना का प्रकाशन, उन गाँवों की नवीनतम मतदाता सूची के आधार पर किया है। चूँकि इस बार बिहार की जाति जनगणना के उपलक्ष में बसावन इंडिया जनगणना विशेषांक का प्रकाशन कर रही है इस लिए इस बार बसावन इंडिया के इस कालम में पिछले अंकों में छापे गए जनगणना का सारांश प्रस्तुत किया जा है, जब तक देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो जाती है बसावन का यह कालम लगातार चलता रहेगा।▪



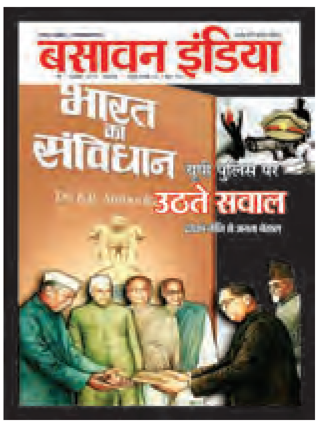


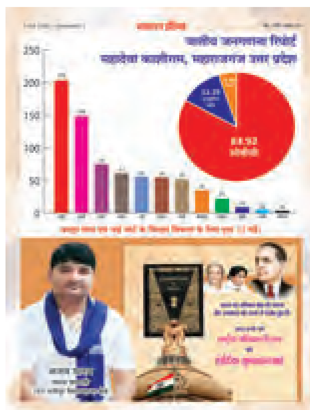


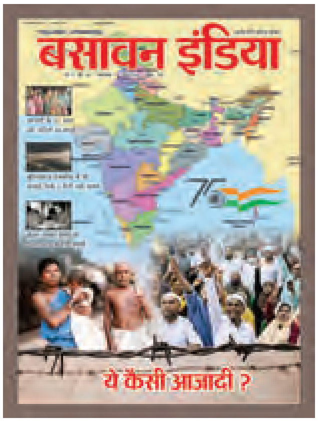


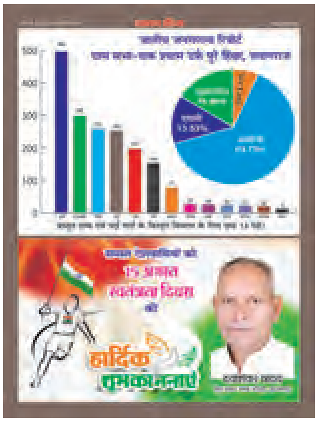






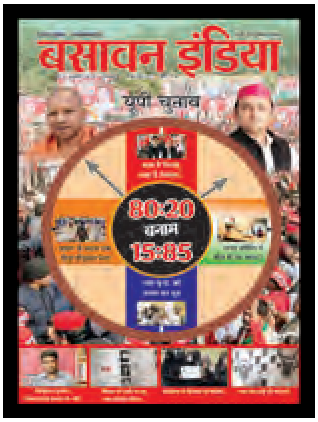




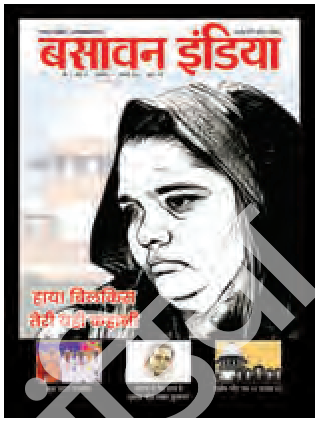


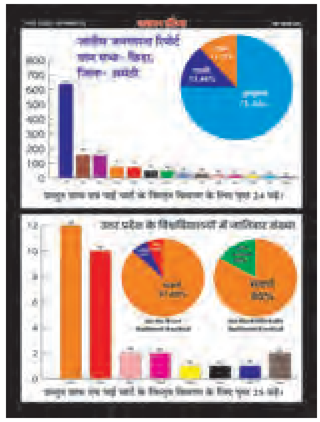


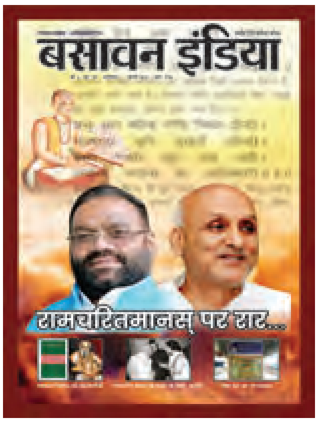


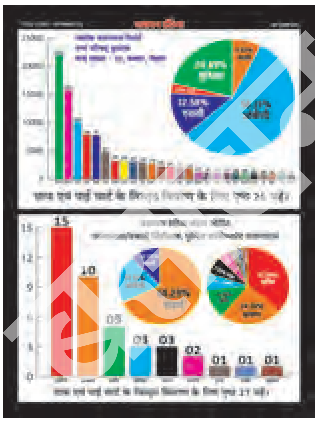




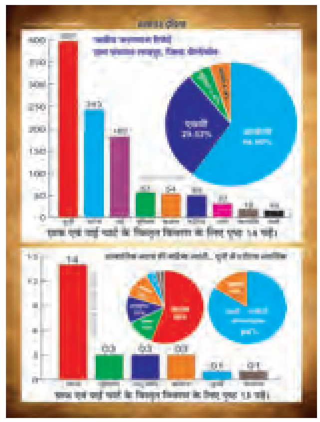












***बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका** का संचालन सहकारिता के आधार पर किया जा रहा है। पत्रिका को आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। संपादक मंडल की हर संभव कोशिश है कि खबरों को निष्पक्ष और तथ्यपूर्ण तरीके से पाठकों तक पहुंचाया जाए। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो हम अपने सम्मानित पाठकों से आशा करते हैं कि वे हमारा ध्यानकर्षण करेंगे। साथ ही साथ हम आपके लेख और विचारों का basavanindi@gmail.com पर स्वागत करते है। बसावन इंडिया की कोशिश होगी कि वह आपके लेख और विचार संपादन के बाद प्रकाशित करें। यदि जगह के अभाव और मुद्दों के प्राथमिकता में आपके विचार और लेख छूट जाते हैं तो उसे अगले अंक में लेनें की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा।*

बसावन इंडिया मंडल ऑडिट
प्रधानमंत्री कार्यालय का ब्राहमण कनेक्शन

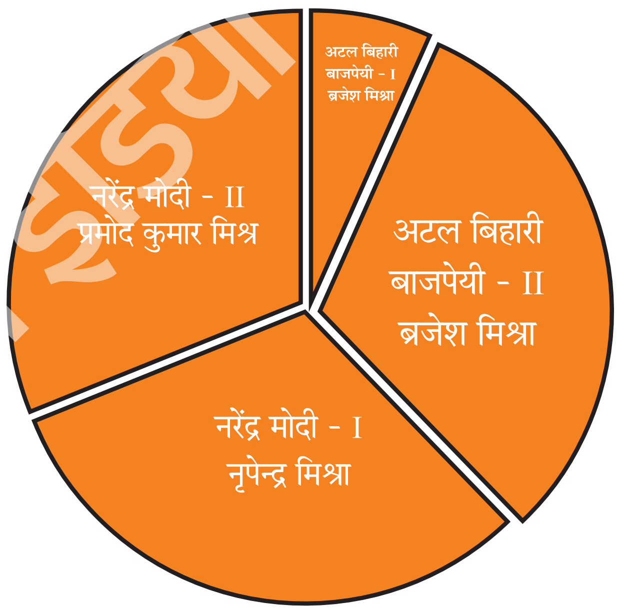
▪ बसावन इंडिया डेस्क

हाल में ही राहुल गाँधी ने प्रधान मंत्री कार्यालय में ओबीसी सचिवों की संख्या देकर एक नयी बहस छेड़ दिया है। वैसे तो प्रधान मंत्री कार्यालय में हमेशा से ही प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव के रूप में ब्राहमणों का बोल बाला रह है। देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु के सचिव जान मथाई थे जो जाति से इसाई थे। गुलजारी लाल नंदा के सचिव के रूप में लक्ष्मी कान्त झा ने काम किया, जो मैथली ब्राहमण थे। लक्ष्मी कान्त झा ने लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी काम किया था। इंद्रा गाँधी के मुख्य सचिव पीएन हक्सर थे। वे कश्मीरी ब्राहमण थे, चौधरी चरण सिंह एक मात्र ऐसे प्रधान मंत्री थे, जिनका कोई सचिव नहीं था। प्रधान मंत्री के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह का लम्बा कार्यकाल रहा है उनके मुख्य सचिव के रूप में टी के नायर और पुलक चटर्जी रहे। नायर केरल के गैर ब्राहमण सवर्ण है जबकि पुलक चटर्जी बंगाली ब्राहमण हैं। गैर भाजपा सरकारों में वी शंकर, पीसी अलेक्जेंडर, बीजी देशमुख, एन के वर्मा, टी आर सतीशचंद्रन, एन एन वोहरा, टीके नायर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव रहे।

प्रधानमंत्री	सचिव	सचिव की जाति
गुलजारी लाल नंदा	लक्ष्मी कान्त झा	मैथली ब्राह्मण
लाल बहादुर शास्त्री	लक्ष्मी कान्त झा	मैथली ब्राह्मण
इंदिरा गाँधी	पीएन हक्सर	कश्मीरी ब्राहमण
चन्द्र शेखर	एसके मिश्रा	ब्राहमण
डॉ मनमोहन सिंह	पुलक चटर्जी	बंगाली ब्राहमण

भाजपा का मिश्रा कनेक्शन

मंडल कमीशन लागू होने के बाद तो प्रधान मंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव का पद तो जैसे ब्राहमणों के लिए आरक्षित हो गया। पंडित अटल बिहारी बाजपेयी के नेत्रित्व में भाजपा सरकार में ब्रजेश मिश्रा का जलवा रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार में भी प्रधान मंत्री कार्यालय पर मिश्रा प्रभाव हावी रहा। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी स्वयं तो ओबीसी हैं लेकिन उनके उनके प्रमुख सचिव हमेशा से ब्राहमण रहे वो भी मिश्रा टाइटिल धारी उनके दूसरे कार्यकाल में भी मिश्रा जी ही उनके प्रमुख सचिव बने। मोदी जी पहले कार्यकाल के लिए नृपेन्द्र मिश्रा उनके प्रधान सचिव रहे। नृपेन्द्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी बना दिया गया। राम मंदिर के ट्रस्टी बन जाने के बाद मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में प्रमोद मिश्रा कार्यरत हैं।▪



16 साल बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव

प्रधानमंत्री	सचिव	सचिव की जाति
अटल बिहारी बाजपेयी - I	ब्रजेश मिश्रा	ब्राह्मण
अटल बिहारी बाजपेयी - II	ब्रजेश मिश्रा	ब्राह्मण
नरेंद्र मोदी - I	नृपेन्द्र मिश्रा	ब्राह्मण
नरेंद्र मोदी - II	प्रमोद मिश्रा	ब्राह्मण

मंडल कमीशन से लाभ लेकर सभी पदों पर बैठे पिछड़ो के बीच मंडल कमीशन की चर्चा क्यों नहीं?

> भारत में पिछड़ी जातियों की आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार 52% है जो 3743 उपजातियों में बटी पड़ी है लेकिन जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा देश की संसद में होती है तो देश की आधी आबादी से अधिक आबादी को अधिकार देने से रोकने के लिए कुछ जातियां दंगा फसाद और आंदोलन करने लगती है वह पिछड़ी जातियों को अधिकार देने के खिलाफ हैं। लेकिन आज वर्तमान दौर में जो पिछड़ी जातियां मंडल कमीशन के द्वारा देश की व्यवस्था में कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर जज बनने लगे हैं।



पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बी पी मंडल जयंती के अवसर पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए कमलेश यादव उर्फ राय साहब सिधौना सैदपुर गाजीपुर उत्तर प्रदेश



▪ अरविन्द यादव

देश के नवनिर्माण में मंडल कमीशन की भूमिका तो अहम हैं। देश में पिछड़ी जातियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। बीपी मंडल ने अपनी मेहनत और लगन से मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की। 31 दिसम्बर 1980 को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसके दस साल बाद मंडल कमीशन की तीन संस्तुतियां लागू कर दी गई, मंडल कमीशन से लाभ प्राप्त कर लोग कर्मचारी, अधिकारी, प्रोफेसर, जज बने।

उनकी संख्या भी बहुत कम है। उनकी जिम्मेदारी थी पिछड़ी जातियों की सभी उपजातियां में मंडल कमीशन से मिले अधिकार और मंडल कमीशन से होने वाले सामाजिक न्याय एवं आर्थिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन के बारे में जिन पिछड़ी जातियों के लोगों को जानकारी नहीं थी उनके बीच मंडल कमीशन की रिपोर्ट ले जाने की आवश्यकता थी लेकिन यह कार्य करने के लिए सामाजिक न्याय के कार्यकर्ता तो मंडल कमीशन की चर्चा और परिचर्चा करते हैं।

मंडल कमीशन से लाभान्वित होने वाले लोगों ने मंडल कमीशन की चर्चा समाज में नहीं की, उससे दूरी भी बना ली। जिसका खामियाजा यह हुआ कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश और प्रदेश में आने वाली सरकारों ने मंडल कमीशन की सभी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की बल्कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई उसे भी समाप्त करने की कोशिश लगातार कार्य करने वाली सरकारों द्वारा की जाती रही।

बाबा साहब डॉ भीम राव अंबेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ी जातियों की गिनती एवं संख्या के आधार पर आरक्षण की बात की। इस आधार पर मंडल कमीशन ने पिछड़ी जातियों के लिए 52% आरक्षण लागू करने की कोशिश तो की लेकिन सुप्रीम कोर्ट से 50% से अधिक आरक्षण ना होने की स्थिति में 27% आरक्षण देश की सभी व्यवस्था में लागू करने की बात की। देश में एससी-एसटी का 22.5% आरक्षण पहले से लागू था।

आज जिस मंडल कमीशन के बल पर पिछड़ी जातियों के लोग कर्मचारी अधिकारी प्रोफेसर जज बने वह क्यों मंडल कमीशन की देश में भूमिका की आवाज को पिछड़ी जातियों के निचले स्तर तक पहुंचने में असफल हैं? यह बड़ा सवाल है क्योंकि समाज में अक्सर देखा गया है कि मंडल कमीशन से लाभ लेकर जो लोग अपनी सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त कर चुके हैं और समाज में सबसे ऊपर चले गए हैं वह आज के दौर में मंडल कमीशन की बात तो करना दूर उसका नाम लेने से भी चिढ़ते है तमाम सर्वेक्षणों में यह पाया गया की मंडल कमीशन से लाखों ने अपने जीवन में सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक तरक्की तो प्राप्त की लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट को समाज के निचले तबके तक पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया जिसका खामियाजा यह है कि पीढ़ियां सामाजिक अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार और हत्या का शिकार होगी जिसका दोषी कोई और नहीं बल्कि ओबीसी का लाभ लेकर कर्मचारी अधिकारी प्रोफेसर जज बने लोग ही हैं क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन के लिए ना तो कोई संगठन बनाया ना ही उसे पर किसी प्रकार का कार्य किया इससे यह सिद्ध होता है कि मंडल कमीशन का लाभ लेकर जो लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत हुए वही मंडल कमीशन को समाप्त करने के दोषी हैं। ▪



लौटे लौटन राम



सपा में पुर्न वापसी के बाद लौटन राम की पुस्तक विमोचन

▪ बसावन इंडिया डेस्क

बहुजन समाज के कद्दावर नेता लौटन राम निषाद की 2 वर्षो बाद समाजवादी पार्टी में पुनर्वापसी हो गई। देश में अपनी वैचारिकी के लिए जाने जानेवाले लौटन राम निषाद ने सपा में वापसी को अपनों के बीच घर वापसी बताया। 13 अक्टूबर2023 को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में उन्हें फिर से ससम्मान पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सपा में पुनर्वापसी के साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लौटनराम निषाद "निषाद समाज का वृहद् इतिहास" पुस्तक का विमोचन किया। पार्टी में पुनर्वापसी के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, और इसे भूल सुधार बताया|

राम में मेरी आस्था नहीं विवाद

पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 18 अगस्त 2020 को अयोध्या में पत्रकारों ने लौटनराम निषाद से पूछा कि निषाद समाज तो राम का भक्त होता है और निषादराज श्रीराम के परममित्र थे, आपकी राम में आस्था है कि नहीं? पत्रकारों के यह पूछने पर लौटनराम निषाद ने कहा कि मेरी राम में आस्था नहीं है, यह मेरा निजी राय है। मेरी आस्था डॉ. भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति शाहूजी महाराज, क्रान्तिसूर्य ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, डॉ.फातिमा शेख, पेरियार ई.वी.रामासामी नायकर, बीपी मंडल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू रामचरणलाल निषाद, शिवदयाल चौरसिया, रामप्रसाद अहीर, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आदि महापुरुषों में है, जिनके संघर्षों की बदौलत हम पिछड़ों, दलितों, वंचितों कों पढ़ने-लिखने, नौकरियों में प्रतिनिधित्व पाने, कुर्सी पर बैठने और सम्मान से जीने का अधिकार पाने का अधिकार मिला है, राम काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक महापुरुष नहीं। इसी बयान को लेकर 24 अगस्त 2020 को लौटनराम निषाद को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। लौटनराम निषाद को पद से हटाने के बाद बहुजन समाज में खासी नाराजगी देखी गयी, ओबीसी, एससी ने जमकर पार्टी प्रमुख के निर्णय की आलोचना किया। बताते चलें कि 16 मार्च 2020 को निषाद को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी थी |

लौटन राम निषाद की कार्यशैली

लौटनराम निषाद ने साफतौर पर एलान कर दिए कि मेरे यहाँ लिफाफा पालिटिक्स नहीं चलेगी, काम करने वालों को ही पदाधिकारी बनाया जायेगा। निषाद ने जातिगत समीकरण को साधते हुए माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग के तहत प्रदेश व जिला कमेटियों का गठन किया। पदाधिकारी चयन के लिए तीन चरण में 30 प्रश्न, 40 प्रश्न व 50 प्रश्न की प्रश्नावली जारी कर जवाब मांगा।समाजवादी पार्टी में इस तरह का पहला प्रयोग था। लौटनराम निषाद के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर पहली बार मालूम पड़ा कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी होता है। कोरोना काल में भी लौटनराम जिले-जिले दौरा कर रहे थे, पदाधिकारियों की कैडर मीटिंग कर रहे थे। कम ही समय में पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ की जगह-जगह चर्चा होने लगी। इससे पूर्व राम आसरे विश्वकर्मा, नरेश उत्तम पटेल, दयाराम प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन इस प्रकोष्ठ की पहचान नहीं थी।

प्रदेश अध्यक्ष पद से वैचारिकी के धनी लौटन राम

"राम में मेरी आस्था नहीं" विवाद से पूर्व परशुराम प्रतिमा लगवाने पर टिप्पणी के कारण भी 10 अगस्त, 2020 को नोटिस जारी हुई थी, तब डैमेज कंट्रोल हो गया था।अखबारों में खबर छपी थी कि समाजवादी पार्टी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करायेगी, जिसको लेकर काफी टीका-टिप्पणी होने लगी।इस पर लौटनराम निषाद का बयान आया कि परशुराम प्रतिमा स्थापना समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं, सपा से जुड़े कुछ परशुराम वंशज परशुराम की प्रतिमा स्थापित कराना चाहते हैं, हम पिछड़ों, दलितों के मुक्तिदाता डॉ.अम्बेडकर, बी.पी. मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार, शाहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले आदि है।पूरी ब्राह्मण लाबी इन्हें पद से हटवाने में जुट गये, लेकिन सफल नहीं हो पाए, लेकिन राम पर टिप्पणी वाले बयान से बच नहीं पाए।

सपा में नहीं रहते हुए भी सहयोगी की भूमिका में

हटाये जाने के बाद भी लगातार सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग की हकमारी पर पूरी मुखरता से आवाज उठाते रहे।घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी को जीताने के लिए पूरी टीम के साथ जी-जान से जुट गये, पार्टी प्रतयाशी को सम्मानजनक जीत भी मिली और बडे-बडे दावे करने वाले संजय निषाद, ओमप्रकाश राजभर को मुँह की खानी पडी। लौटनराम निषाद सपा से बाहर रहकर भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुखर रहे । ▪



सपा में पुर्न वापसी के बाद लौटन राम का स्वागत

पत्रकारों की आलोचना सत्ता को नहीं आ रहीं रास

कलम और कैमरे पर पहरा



पत्रकारिता को आज जन समस्याओं से जोड़ने की जरूरत है। कलम और कैमरे का इस्तेमाल आमजन की समस्याओं के लिए होना चाहिए सत्ता की चापलूसी के लिए नहीं जो कटु सत्य है। खैर पत्रकारों की कमल पर सरकार का पहरा मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या है। आज मुख्य धारा की मीडिया जो कभी न शिक्षा पर बहस करते है न महगाई पर न बेरोजगारी पर न बेटियों के साथ हो रहें अपराध पर। 'डिजिटल मीडिया' एक हिस्सा जो सच के साथ है उस पर और कब्जा करने के चक्कर मे ये आदेश पारित किया गया है। मीडिया पर इस तरह का अंकुश लगाना ठीक नहीं है। यदि शासन प्रशासन बेलगाम हो जायेगा या तानाशाही पर उतर जायेगा तो आप इनके खिलाफ मत लिखिए, कोई अत्याचार करेगा उनपर मत लिखिए मतलब जब मीडिया कुछ लिखेगा नहीं आवाज बुलंद होगी नहीं तो अत्यचार और बढ़ जायेगा। फिर जिसकी लाठी उसकी भैस वाली कहावत पूरी हो जायेगी। दुख का विषय अब यह है कि ज्यादातर लोगों की नीयत ही हो गयी है सच नहीं कहना है, एक विशेष की गुलामी करनी है।

आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है और कारपोरेट घरानों की मीडिया मोटे विज्ञापनों के चक्कर में सत्ता की हाँ में हाँ मिलाए घूम रहीं है। बीते एक सालों में सैकड़ों पत्रकारों और संपादकों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गयें जो सत्ता से बेबाकी से सवाल करने और लिखने के चक्कर में मुद्दों के चक्कर काट रहें है। कलमकारों के हक को दबाना उचित नहीं है सत्ता पक्ष विपक्ष के सही गलत का लेखा जोखा देना समाज, देश, प्रदेश को उपलब्ध करवाना उनका कर्तव्य है जो काम सहीं कर रहा है उस पर एफआईआर जो हर तरफ से झूठ फरेब के आडंबर से ग्रसित चाटुकार था उस पर कार्यवाही बस दिखावे के लिए। न्याय की अपेक्षा किससे की जाए ईश्वर व जनता ही न्याय करेगी। समय की मार कलम की मार से बड़े से बड़ा योद्धा नहीं बच पाये। ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि सच दिखाने वाले पत्रकारों को कही मौत दी जाती, कही झूठे मुकदमें में जेल में डाल दिया जाता या उनको डरा धमकाकर सच न दिखाने की हिदायत दी जाती है

सोशल मीडिया शोषित, वंचित, पीडित अक्लियत समाज की आवाज उठाने का भरसक प्रयास किया मगर जो बाते सरकार और उनके नुमाइंदों को समझ में नहीं आती उस पर उनका ऐतराज होता है यहीं वजह है सरकार अपनी हिटलरशाही हुकूमत के चक्कर में कलम और कैमरों पर पहरा लगाना चाहती है। तमाम हाशिए के समाज की पत्रकारिता कर रहें पत्रकारों ने आवाज को भी बुलंदी के साथ उठाया। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि किसान, नौजवान, और कैमेरे की आवाज दबाने का हमेशा प्रयास किया गया। टीवी पर बहस करने वाले हिंदू मुस्लिम को लड़वाने वाले एंकर कभी भी गांव देहात की बात नहीं करते है। उनका एजेंडा रहता है जो सरकार चाहती है वहीं दिखाते है ऐसे में जो गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों, किसानो की बात करता है उससे इनके पेट में दर्द क्यूं? सत्ता के नशे में चूर लोगों को निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद नहीं आ रहीं है। इसीलिए इनका सरकारी फरमान प्रमुख सचिव के कार्यालय से होकर निकल रहा है जो सत्ता की मुखालफत करता है सरकार की आलोचना करता है या सत्ता के कारनामों का उजागर करता है उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखकर प्रताडित किया जायेगा क्या यहीं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की आजादी है क्या यहीं स्वतंत्रता है कि हम सवाल नहीं कर सकते।सीधे मायने में जाने आज हमारा नम्बर आया है तो कल आपका नंबर भी आएगा।

प्रमुख सचिव का आदेश या सत्ता का फरमान समझा जाए लोकतंत्र के चौथें खंभें को कुचलने का जो यह प्रयास किया गया है इससे कारपोरेट घरानों की मीडिया को छोडकर मेन स्ट्रीम की मीडिया में एक चर्चा जरूर है। सत्ता और नौकरशाही के खिलाफ कोई खबर न लिखे क्या उस पर प्रयोग है या पत्रकारों द्वारा नकारात्मक खबरों के प्रसारण पर नोटिस भेजने संबंधी आदेश को कैसे माने की कोई पत्रकार कैसे नकारात्मक खबरें परोस रहा है। अधिकारियों के पास ऐसा कौन सा पैमाना होगा जिससे ओ जान लेगे की यह नकारात्मक खबर है। सीधा मतलब है कि सत्ता की कलम चापलूसी करें शायद ऐसा होगा भी नहीं। तमाम पत्रकार संगठनों एवं पत्रकारों ने इस तानाशाही आदेश के खिलाफ सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौपें। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित मीडिया को उसके दायित्वों पर अंकुश लगाना इस प्रकार के आदेश से संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन होगा एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर इस तरह का आदेश चौथे स्तम्भ पर कुठाराघात है। यदि आज कलमकारों को यह बात नहीं समझ में आयी तो सत्ता की चौखट पर मुजरा करने भर के मात्र रह जायेंगे। ▪



विनोद यादव
मो.न.- 7860084442

डॉ.ए पी जे अब्दुल कलाम ट्रस्ट द्वारा शिक्षकों का सम्मान


ट्रस्ट के संस्थापक चैयरमैन अब्दुल नसीर नासिर सम्मानित करते हुए

शिक्षा के बगैर कोई समाज सभ्य व विकसित नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि जितने भी महापुरूष हुए हैं उनकी महानता में उनके गुरु की मेहनत व लगन शामिल है। आज भी दुनिया में जो लोग बहुत कामयाब हैं उनकी कामयाबी के पीछे उनके गुरुओं की मेहनत और समर्पण शामिल है। इसलिए पूरी दुनिया में आम तौर पर और हमारे देश भारत में विशेष तौर पर शिक्षकों का बहुत महत्व है। शिक्षक की जितनी भी सेवा की जाए लेकिन उसका हक अदा नहीं हो सकता है। एक शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो अपने शिष्यों को अपने से आगे बढ़ता हुए देखना चाहता है। इस लिए शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट की ओर से शिक्षकों का सम्मान समारोह बहुत ही सराहनीय है।

यह बातें केन्द्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रो० एस०पी० सिह बघेल ने होटल फार्च्यून बीबीडी में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के तहत हुए शिक्षक सम्मान समारोह में कही। सम्मान समारोह की अध्यक्ष्यता ट्रस्ट के संस्थापक चैयरमैन अब्दुल नसीर नासिर ने की। इस मौके पर अब्दुल नसीर नासिर ने ट्रस्ट की गतिविधियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि मिज़ाईल मैन भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम खुद भी एक शिक्षक के रूप में मशहूर रहे और अपनी आखिरी सांस तक नई पीढ़ी को पढ़ाने सिखाने में लगे रहे। आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या में उनके नाम से समर्पित अवार्ड शहर के उन शिक्षकों को दिया जा रहा है जिन्होंने महत्वपूर्ण विषय में शैक्षिक योगदान प्रदान किया है और आज भी कर रहे हैं। उनका सम्मान आने वाली पीढ़ियों का सम्मान है।

इस मौके पर विशेष तौर पर कल्याण सिहं कैंसर संस्थान की डीन प्रो० व हेड डॉ. सबिहा कुरैशी, इमेटी इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की प्रो० डॉ. सबिहा फात्मा, किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में डेंटल सांइस के प्रो० हेड और डीन पद्म श्री डॉ. शादाब मोहम्मद, इसी विभाग के प्रो० डॉ. जितेन्द्र राव, केजीएमयू के पैथालॉजी विभाग के प्रो० वाहिद अली के अलावा जेबा नसीम, शीला चक्रवर्ती, शिवांगी सिंह आदि को केंद्रीय मंत्री श्री प्रो० एस0पी0सिंह बघेल के हाथों शाल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। समम्मान समारोह में समाजिक कार्यकर्ता गौतम राने, राशिद खान, मोहम्मद आफाक आदि विशेष तौर मौजूद रहे। ▪

राजेन्द्र यादव हंस सम्मान 2023

कवि जी के उपनाम से प्रसिद्ध राम निवास यादव को वर्ष 2023 के लिए साहित्य के राजेन्द्र यादव हंस सम्मान से सम्मानित किया गया। जिन्हें अब तक बिरहा लेखन के क्षेत्र मे ही लोग जानते थे। अब साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी पहचान कायम कर दीं। इस बार 28 अगस्त को राजेन्द्र यादव जी के जन्म दिन पर दिया जाने वाला सम्मान पुरस्कार राजेन्द्र यादव हंस सम्मान से इन्हें नवाजा गया ।

वीना उनियाल जी द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देते हुए कहा कि ये साहित्य का आस्कर है और उम्मीद करती हूं कि रामनिवास जी आगे लेखन के क्षेत्र में इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। ▪


वीना उनियाल जी के द्वारा हंस सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र देते हुए





छात्रावास को लेकर बीएचयू में बवाल



उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को 'आरक्षण नहीं दिए जाने' का मामला तूल पकड़ने लगा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रावास में रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी के छात्र-छात्राओं के रहने के लिए वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे छीतुपुर सीर गोवर्धन नरिया गेट आदि स्थानों पर किराये के कमरों में रहना पड़ता है।

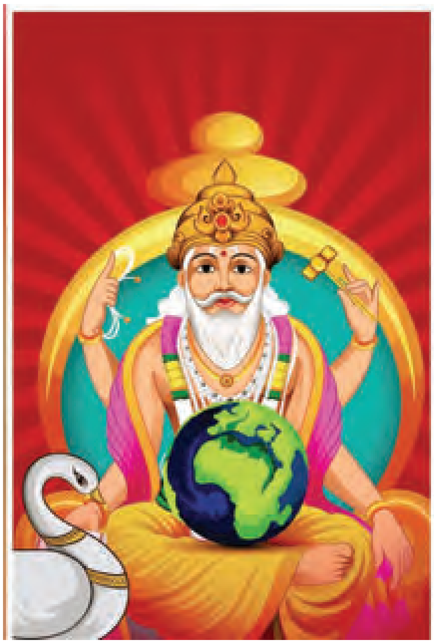
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र शुभम कुमार यादव का कहना है कि हम सभी छात्र हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग के पैसे से निर्मित छात्रावास में रहने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी सुनवाई विश्वविद्यालय प्रशासन या सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार कोई भी नहीं कर रहा है, यह लड़ाई विश्वविद्यालय में रहने के लिए है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए ना कि किसी अन्य कार्यों के लिए। हम सभी छात्रों की यही मांग है कि छात्रावास जब ओबीसी अनुदान कमीशन के पैसे से निर्मित है तो ओबीसी बच्चों को छात्रावास में रूम क्यों नहीं। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला हर एक छात्र अलग-अलग सामाजिक परिवेश से आता है, छात्रावास में कोई उच्च नीच जाति छुआछूत जैसी कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। उसमें सभी में सामाजिक समरसता की भावना देखने को मिलता है। इसी समस्या को कम करने के लिए विश्वविद्यालय में ओबीसी छात्र-छात्राओं को छात्रावास में रहने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, देश भर के शिक्षण संस्थानों संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू है इस एक्ट के तहत ही शिक्षण संस्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% आरक्षण के समानुपात में संसाधन विकास के लिए ओबीसी अनुदान से करोड़ों अरबो रुपए मिले। ओबीसी अनुदान से धनराशि प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी शामिल है। विश्वविद्यालय को ओबीसी अनुदान में मिले रुपए से अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को रहने के लिए 29 से अधिक दोनों परिसर मिलकर छात्रावासों का निर्माण हुआ जिन्हें पूर्णता अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं को आवंटन होना चाहिए किंतु विश्वविद्यालय के सिर्फ प्रशासनिक पदों पर बैठे पदाधिकारी की नियत में खोंट होने के कारण विश्वविद्यालय के छात्राओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत आरक्षण अभी तक नहीं लागू है तो छात्रावासों में संवैधानिक प्रावधान के तहत अन्य प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण लागू किया जाए।

विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों एक छात्र विश्वजीत कुमार का कहना है कि जब ओबीसी के पैसे से छात्रावास निर्मित है तब सोशल जस्टिस के हवाले से यह क्यों कहा जा रहा है कि प्रावधान नहीं है छात्रावास में ओबीसी छात्राओं के लिए हम विश्वविद्यालय से ही कहना चाहते हैं कि जब यूजीसी की गाइडलाइन में प्रावधान है तब क्यों नहीं छात्रों को छात्रावास दिया जा रहा है, एक अन्य छात्र समरेंद्र कुमार का कहना है कि विश्वविध्यालय में दाखिला लेने वाले आरक्षित श्रेणी के छात्र छात्राओं को डेलीगेसी में रहने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डेलीगेसी में रहने वाले छात्र-छात्राओं को महंगे कमरे लेकर रहना पड़ता है उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें डेंगू मलेरिया टाइफाइड आदि जैसे बीमारियों से भी छात्र सामना करते हैं। विश्वविद्यालय में इंडिया के विभिन्न राज्यों से जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों से आते हैं इन सभी छात्रों को रहने में अनेक और असुविधाएं भी होती हैं, छात्रावास में रूम के लिए कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह किया गया गया लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हम सभी को मांगों को दरकिनार कर रहा है हम सभी की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और जब तक हमें विश्वविद्यालय में छात्रों को छात्रावास नहीं मिल जाता तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगें। ▪



जितेन्द्र कुमार यादव
मो.न.- 80816 59906

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बहाने





15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की घोषणा की इस योजना के अंतर्गत 18 जातियों को उनके परंपरागत पेशे से जोड़ा जाएगा जिन्हें 15000 रुपए के परंपरागत पेशे से सम्बंधित औजार प्रदान किए जाएंगे। लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें 300000 तक का ऋण दिया जाएगा।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना नाम से कतई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है इसमें विश्वकर्मा/ लोहार के अलावा अन्य जातियां जैसे सुनार, मोची, बढई आदि को भी जोड़ा गया है। शायद विश्वकर्मा श्रम सम्मान नाम से दुविधा में पड़कर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता रामाश्रय विश्वकर्मा ने अपने फेसबुक वालों पर नपे- तुले शब्दों में लिखा है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम में लोहार बढई सुनार शिल्पकार के अतिरिक्त चर्मकार राजमिस्त्री नाई धोबी दरजी भी शामिल

विश्वकर्मा श्रम सम्मान को लेकर जाने-माने और पत्रकार राम जी यादव का मानना है की विश्वकर्मा श्रम सम्मान नाम रखने के पीछे देश की लोहार जाति के वोटरों को साधने की मंशा है यह सब आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है।

जाने मने सामाजिक चिन्तक ओ पी पाल कहते हैं कि सिर्फ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ही क्यों? अन्य जातीय देवताओं के


Ram Asre Vishwakarma
2 d ·
न्द्र सरकार के पीएम विश्वकर्मा स्कीम में लोहार बढ़ई सोनार शिल्पकार के अतिरिक्त चर्मकार राजमिस्त्री नाई धोबी दर्जी भी शामिल।

नाम पर भी सम्मान योजना चलायी जा सकती है। जब विश्वर्मा श्रम सम्मान योजना है तो अहीर और अन्य पशुपालक जातियों के लिए कृष्ण सम्मान योजना क्यों नहीं? केवट, बिंद मल्लाह के लिए निषादराज सम्मान योजना क्यों नहीं? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना विशुद्ध राजनीति से प्रेरित योजना है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में क्या क्या है

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों जैसे बढ़ई,

10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे सी राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रान्त में इसी से मिलती जुलती एक योजना चलायी थी, जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उनकी शैक्षिक नीति ने उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया। राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी करने के लिए, और इस विश्वास के साथ कि माता-पिता अपने बच्चों को ग्रामीण शिल्प में कौशल प्रदान करेंगे, उन्होंने स्कूल के घंटों को आधा करने और शिल्प सीखने पर जोर देने का प्रस्ताव रखा। राजनीतिक विरोधियों ने इस नीति को जाति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ब्राह्मणों की युक्ति के रूप में चित्रित किया, और कांग्रेस विधायकों ने इसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राजगोपालाचारी, जिन्होंने कभी जिद के आरोपों से इनकार नहीं किया, ने छोड़ना पसंद किया। कुछ ही हफ्तों के भीतर, नए मुख्यमंत्री कुमारस्वामी कामराज ने नीति वापस ले ली।

दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।



स्वामी प्रसाद मौर्य

भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों के आंख में धूल झोंक रही है। जब से भाजपा सरकार आई है, देश का नौजवान। सरकारी नौकरियों से मरहूम हो गया। यहां तक कि आज कई बैंकों में मुसलमानों की फौज बेरोजगार के रूप में तैयार हो गई है। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग पास करनेवाले लड़के, यहां तक कि तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने वाले नौजवानों को। सरकारी नौकरियां मयस्सर नहीं हो रही हैं। नतीजा है कि अपने और अपने घर के परिवार की जीविका चलाने के लिए कहीं न कहीं लोहारी, कुम्हारी, कारीगरी, राजगीरी, दाल बनाना, डलिया बनाना आदि कामों में अपने को लगाकर अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को। इन दोनों को सरकारी नौकरियां देने के बजाय आज उनकी मजबूरी का माखौल उड़ाया जा रहा है। उन्हें पुश्तैनी कारोबार की ओर। जाने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को इनको अपने पुश्तैनी काम में ही समेटने की कोशिश की जा रही है। जिससे कि वह। सत्ता शासन में भागीदार बनने का सपना छोड़ दें। उनके लड़कियां भी पढ़ लिख करके। डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीसीएस जे। नौकरियों में जाने का सपना देखना छोड़ दें। अपने बाप दादा के जमाने से चले आ रहे पुश्तैनी काम। वो करने के लिए मजबूर हो जाएं। यह 17 सितंबर को ही यह सब कुछ किया जा रहा है ऐसा इस लिए कि जब भी बहुजन समाज के किसी महापुरुष का। कोई बड़ा आयोजन होता है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर के साजिश और तिकड़म करती है। जिससे कि बहुजन के लोग अपने महापुरुषों को भूल जाएं। उसके चकाचौंध में फंस करके इनके पीछे खड़े हो जाएं। भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य साहब डाक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस छह दिसंबर को पड़ता है, 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। जिससे लोग बाबरी मस्जिद तोड़े जाने और रामजन्म भूमि में उलझ जाएँ, बाबासाहब बाबासाहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस में जाना भूल जाएं। 17 सितम्बर को पेरियार जी की जयंती है। उस दिन जानबूझ कर के। विश्वकर्मा सम्मान समारोह रखा जा रहा है। जिससे इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े अपने महापुरुष पेरियार रामास्वामी नायकर कृतित्व को भूल जाएं, उनके विचारों को भूल जाएं और विश्कर्मा सम्मान समारोह की चकाचौंध में पड़ करके। दूसरी दिशा देने की कोशिश की जा रही है।दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने मकड़जाल में फंसा करके कभी उनके वोट के लालच में हिंदू की दुहाई देकर के हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलेंगे। कभी हमारे महापुरुषों के नाम पर दूसरा कार्यक्रम आयोजित करके हमारे महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ हो गई है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से परंपरागत व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाएगा ।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का उद्देश्य

बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची जैसे मजदुर आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपने कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनने वाले, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची जैसे पारंपरिक कारोबारियों तथा हस्तशिल्प की कला को प्रोत्साहित करना और आगे बढ़ाना।



ओ पी पाल
सामाजिक चिन्तक

"1968 में सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर डे घोषित किया है जो 15 सितंबर को पड़ता है 15 सितंबर को इंजीनियर डे पर उन सभी इंजीनियर को सम्मान दिया जाता है जो देश को आधुनिक और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है यह आधुनिक भारत के उन पर्वों में से है जो ग्रेगेडियन कैलेंडर से बनाया जाता है और जिसकी तिथि स्थिर है जबकि भारतीय परंपरा के अधिकतर त्यौहार शक संवत पर आधारित है जो चंद्रमा की गति की गणना पर आधारित है। इसीलिए चंद्र का कैलेंडर पर आधारित होने के कारण अन्य त्योहार की तिथियां आगे पीछे होती रहती हैं वैसे भी आजकल अधिकतर हिंदू त्यौहार दो दिनों के हो गए हैं रक्षाबंधन होली दिवाली जैसे त्योहार दो दिन पढ़ते हैं मनाए जाते हैं और इस दौरान दक्षिणा के नाम पर जमकर वसूली भी होती है लेकिन विश्वकर्मा जयंती प्रतिवर्ष 17 सितंबर को ही मनाई जाती है जबकि विश्वकर्मा आदि हिंदू देवता होने के कारण उनकी तिथि चंद्र कैलेंडर पर आधारित होनी चाहिए थी। विश्वकर्मा जयंती अभी तक कभी भी ना तो 16 को पड़ी और ना ही 18 सितंबर को पड़ी ना ही 16 17 और ना ही 17 18 को पड़ी ऐसे में विश्वकर्मा जयंती को लेकर की तिथि को लेकर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है।"

17 सितंबर इतना महत्वपूर्ण क्यों?

17 सितंबर को आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है इसी दिन भारत के अरस्तु कहे जाने वाले महान दार्शनिक और चिंतक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म दिवस है जिन्होंने अपने चिंतन से परंपरागत दकियानूसी विचारों को गंभीर चुनौती दी और सामाजिक जगत में एक बड़ा विमर्श पैदा किया।

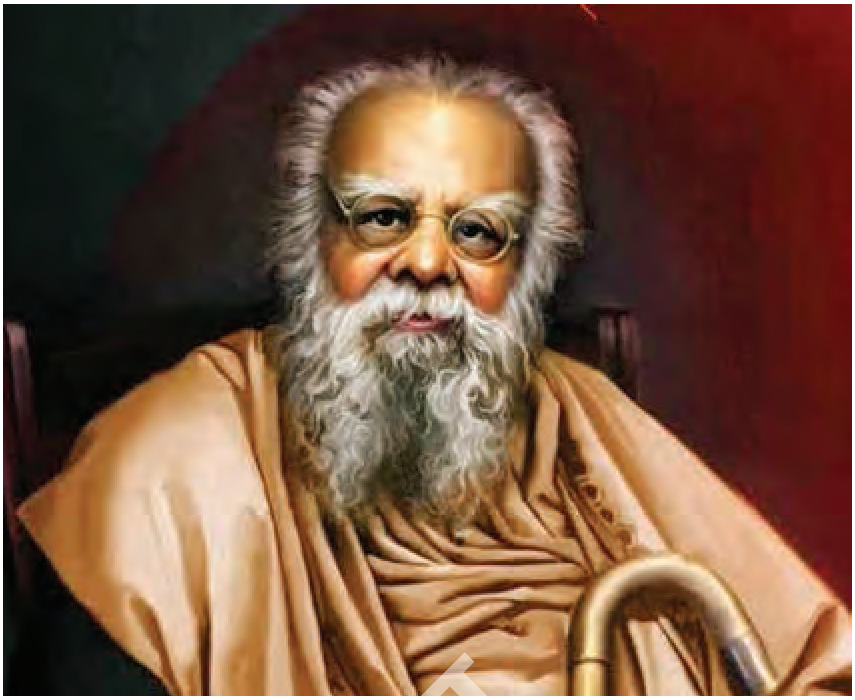
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भी है जिन्हें तमाम भाजपा नेता दिव्य पुरुष के रूप में स्थापित करने पर तुले हुए हैं। बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कमल लिए कोई दिव्य पुरुष आएगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आ गए हैं। एक अन्य भाजपा नेता और उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'देवता मनुष्य' (दिव्य पुरुष) और 'राजनीतिक संत' मानते हैं। निरानी ने कहा, ''उत्तरी कर्नाटक में मोदी को श्री स्वामी सिद्धेश्वर की तरह 'देवता मनुष्य' के रूप में माना जाता है, जिन्हें 'नादेदेव नारायण' (जीवित भगवान) के रूप में जाना



विश्वकर्मा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना क्यों नही?

सौरभ विश्वकर्मा

विश्वकर्मा श्रम सम्मान परंपरागत व्यवसाय को प्रोत्साहन देकर रोजगार पैदा करने की मंशा नहीं है इस योजना से नई को उसे तरह बधाई को बसूला और मोची के लड़के को रफी पकड़ने की गहरी साजिश है इन व्यवसाय के लड़कों को जो पढ़ लिखकर कलम पढ़ते रोजगार मांगते अधिकारी बनते उन्हें उसे तरह बसूला और रापी के बीच फिर से उलझा देने की गहरी साजिश है लोग थोड़े-थोड़े प्रलोभन के में फंसकर अपने बच्चों को परंपरागत पेशन में उलझा कर रख देंगे उनके बच्चे कहां पढ़ लिख पाएंगे यह उनका कई पीढ़ी पीछे धकेल देगी यदि सरकार की मंशा सकारात्मक थी तो प्रधानमंत्री जी को इन 18 जातियों के बच्चों के लिए विश्वकर्मा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना भी शुरू कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि हिंदू राष्ट्र में अहीर का लड़का भैंस तो धोबी कारण का धोबी का लड़का कपड़े धोएगा मोची जूते बनाएगा तो सुनार का लड़का गहने बनाएगा दूसरे अर्थों में दूसरे अर्थों में यह हिंदू राष्ट्र की बुनियाद की साजिश है।



जाता है। स्वामी जी के पास न तो जेब है और न ही बैंक खाता या संपत्ति। मोदी के पास जेब है, लेकिन कोई इच्छा नहीं है। उनके लिए देश की सेवा ही सब कुछ है। वह 'राजकीय संत' (राजनीतिक संत) हैं।

पेरियार के क्रांतिकारी विचार

पेरियार ने देश की जनता को तर्कशील होने को कहा और सीधे ईश्वर नामक संस्था पर हमला बोलते हुये कहा कि "ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिलकुल नहीं है, जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है, वह दुष्ट है, साथ ही जो ईश्वर की पूजा करता है, वह बर्बर है।"

पेरियार रामासामी नायकर जी ने ईश्वर से ही सवाल पूछ डाले जो निम्नवत हैं-

- क्या तुम कायर हो, जो हमेशा ही छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते?
- क्या तुम्हें खुशामद पसंद है, जो लोगों से दिन रात पूजा-अर्चना करवाते हो?
- क्या तुम सदैव भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो ?
- क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो?
- क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए हुए हो?
- क्या तुम व्यभिचारी हो, जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो?
- क्या तुम कमजोर हो, जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते?
- क्या तुम मूर्ख हो, जो दुनिया के देशों में गरीबी-भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी-नालों में बहा देते हो?
- क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते?
- क्या तुम अंधे हो, जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो, जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो?क्या तुम आतंकवादी हो, जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डरकर रहें?
- क्या तुम गूंगे हो, जो एक शब्द नहीं बोल पाते, लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं?
- क्या तुम भ्रष्टाचारी हो, जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए धन की पाई-पाई तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है?
- क्या तुम मुर्ख हो, जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किये जो तुम्हे खरी-खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? ▪



विनीत कुमार
मो.न.- 79854 72168

मणिपुर: हिंसा का दौर

मैतेई और कुकी समुदायों के बीच



भारत सरकार द्वारा कुकी समुदाय को आदिवासी के दर्जा कारण मैतेई समुदाय के लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन लेने पर रोक लगा दी गई जबकि कुकी समुदाय कहीं पर भी ज़मीन ले सकते हैं। यही विवाद की असली जड़ है।

▪ **परिभाषा**

विकासशील भारत जो आज विश्व की पाँच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान बना रहा है, उसका एक पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, जिसे 'सात बहनों' में से एक के रूप में जाना जाता है। हमेशा ही आलौकिक स्थान के रूप में प्रस्तुत हुआ है। हाल ही में, यह समृद्ध जनसंख्या और सांस्कृतिक धरोहर होने के बावजूद, यहाँ के दो प्रमुख समुदायों, मैतेई और कुकी, के बीच हिंसक झड़प होने के कारण खबरों में रहा जिसमें इंसान का न्यूनतम और नग्नतम रूप देखने को मिला।

इस हिंसा की सांस्कृतिक और धार्मिक दो दिशायें रही हैं, जिन्होंने इसे और अधिक जटिल बनाया। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच दशकों से चल रहे मतभेदों और अधिकारों के मुद्दों के कारण ये दोनों समुदाय एक दूसरे से लड़ते एवं संघर्ष करते आ रहे हैं। मणिपुर में इस वर्ष की शुरुआत से ही इन दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया था। इस दौरान बेरहमी से हत्याएं और महिलाओं के ख़िलाफ़ यौन अपराध भी बड़ी संख्या में देखने को मिले। 200 से अधिक लोग मारे गये, जिसमें दो-तिहाई कुकी हैं। कुकी समुदाय में सामूहिक रूप से कुकी, ज़ोमी, चिन, हमार और मिज़ो जनजातियाँ शामिल हैं, जिसमें से ज़्यादातर ईसाई धर्म के अनुयायी हैं।


Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh
मणिपुर में सत्ताधारियों की आँख का पानी मर गया है, जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि ऐसे एक नहीं अनेक केस हुए हैं। अगर उन्हें सब पता है तो उनको सत्ता में रहने का हक़ एक पल के लिए भी नहीं है।
Translate post
7:19 pm · 20 Jul 23 · 218K Views
2,852 Reposts 69 Quotes 13.6K Likes
4 Bookmarks

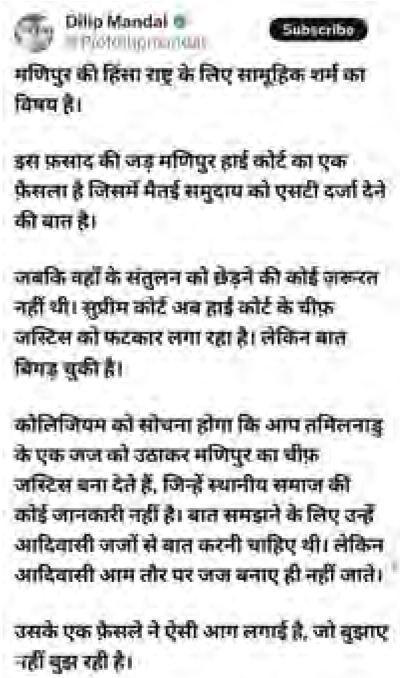
मैतेई समुदाय की मुख्य माँग थी की, उन्हें कुकी समुदाय की तरह राज्य में शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इससे कुकी समुदाय नाराज़ हो गया, और इसके परिणामस्वरूप हिंसा और उतार-चढ़ाव का दौर बढ़ गया। इसी दौरान 4 मई को मैतेई समुदाय द्वारा कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने और उनके यौन उत्पीड़न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिससे पूरे देश की आँखों में गुस्से की आग जलती दिखी और साथ ही सरकार भी बुरी तरह विफल होती दिखी।

मणिपुर में हिंसा का इतिहास

दशकों से चले आ रहे इस विवाद ने तब एक अलग मोड़ ले लिया जब इंसानियत को शर्मसार करता एक वीडियो वायरल हुआ। आख़िर इस हिंसा के पीछे क्या वजह रही जिसने इंसान को हैवान बनने पर मजबूर कर दिया? इसके लिए सबसे पहले मणिपुर की भगौलिक स्थिति को समझना आवश्यक है। सोलह ज़िलों के इस सीमावर्ती राज्य की राजधानी इंफाल बिलकुल बीचों- बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंफाल राज्य कि भूमि का दस फ़ीसदी है। लेकिन आबादी के लिहाज़ से देखें तो यहां राज्य की सत्तावन प्रतिशत आबादी रहती है। राजनीतिक दृष्टि से भी मैतेई समुदाय अधिक मज़बूत है।इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि, 60 विधायकों वाली मणिपुर विधानसभा में 40 विधायक मैतेई क्षेत्र समुदाय से आते हैं एवं अन्य 20 विधायक कुकी और नगा जनजाति के हैं।

मैतेई समुदाय की तिरेपन फ़ीसद आबादी राज्य की सबसे समृद्ध इंफाल घाटी में रहती है। राज्य का नब्बे फ़ीसद हिस्सा पहाड़ी इलाक़ों




Dilip Mandal
Subscribe

मणिपुर की हिंसा राष्ट्र के लिए सामूहिक शर्म का विषय है।

इस फ़साद की जड़ मणिपुर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसमें मैतई समुदाय को एसटी दर्जा देने की बात है।

जबकि वहाँ के संतुलन को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को फटकार लगा रहा है। लेकिन बात बिगड़ चुकी है।

कोलिजियम को सोचना होगा कि आप तमिलनाडु के एक जज को उठाकर मणिपुर का चीफ़ जस्टिस बना देते हैं, जिन्हें स्थानीय समाज की कोई जानकारी नहीं है। बात समझने के लिए उन्हें आदिवासी जजों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन आदिवासी आम तौर पर जज बनाए ही नहीं जाते।

उसके एक फ़ैसले ने ऐसी आग लगाई है, जो बुझाए नहीं बुझ रही है।

से भरा है, जो अपेक्षाकृत कम विकसित है। इसी क्षेत्र में अल्पसंख्यक समूह रहते हैं, जिसमें कुकी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया था। भारत में यह दर्जा संविधान के तहत दिया जाता है, ताकि पिछड़े और वंचित समुदायों की संस्कृति, ज़मीन एवं भाषा की रक्षा की जा सके। भारत सरकार द्वारा कुकी समुदाय को मिले इस दर्जे के कारण मैतेई समुदाय के लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन लेने पर रोक लगा दी गई जबकि कुकी समुदाय कहीं पर भी ज़मीन ले सकते हैं।

पहाड़ी समुदायों (नगा और कुकी) और मैतेई लोगों के बीच राजवंश शासन से ही जातीय तनाव रहा है। 1950 के दशक में स्वतंत्रता के लिए चले नगा आंदोलन में मैतेई और कुकी-ज़ोमी समूहों ने 1990 के दशक में 'कुकीलैंड' की माँग करने के लिए अपना सैन्यीकरण किया था। इस घटना ने उन्हें मैतेई से अलग कर दिया जिनकी पहले उन्होंने रक्षा की थी।

वर्ष 1993 में हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान पंगलों से संघर्ष हुआ। उस दौरान जनजातीय नगाओं और कुकियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हुआ जहां नगाओं द्वारा एक ही दिन में सौ से अधिक कुकियों के नरसंहार की घटना भी हुई, और हज़ारों कुकियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया। चुराचंदपुर की घटना भी इसमें शामिल है जिसका ज़िक्र आगे किया गया है।

जनजातीय दर्जा देने की माँग के समर्थन में मैतेई समुदाय के तर्क

मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति के नेतृत्व में 2013 से मैतेई समुदाय को जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को बल मिला। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की, कि इन्हें मणिपुर में जनजातियों के बीच जनजाति के रूप में शामिल किया जाए। आदिवासी समुदायों ने इस मांग का लगातार विरोध किया। वर्षों से चले आ रहे इस विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब, मैतेई समुदाय को जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय ने जनजाति में शामिल होने के लिये ज़रूरी काग़ज़ात जमा करने के निर्देश दे दिए। जिसके बाद हिंसा का भयावह रूप हम सभी ने देखा।

मैतेई समुदाय का तर्क है कि 1949 में जब भारत में मणिपुर राज्य का विलय हुआ तब मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, जिससे वह अपनी पैतृक भूमि, संस्कृति, परंपरा और भाषा की रक्षा करते आये हैं। मैतेई द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि मणिपुर राज्य में 1951 में मैतेई की कुल जनसंख्या उनसठ प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना में घटकर चवालिस प्रतिशत ही बची है।

मैतेई को जनजाति सूची में शामिल न करने के विरुद्ध कुकी समुदाय के तर्क

जनजातीय समूहों का मानना है कि मैतेई राज्य की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक परिपक्व एवं संपन्न जाति है। यदि मैतेई को भी जनजाति दर्जा मिल गया तो उसके परिणामस्वरूप अन्य समूहों के लिए रोज़गार के अवसर कम हो जाएँगे, पहाड़ों पर भी उन्हें ज़मीन ख़रीदने की अनुमति मिल जाएगी जिससे दूसरे लोग हाशिये पर चले जाएँगे। इसके साथ ही जनजातीय समूहों को अपनी भाषा के लिये भी ख़तरा नज़र आया, क्योंकि मैतेई समुदाय की भाषा मणिपुरी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल है। इसके अतिरिक्त कुकी यह तर्क भी देते हैं, कि मैतेई के कई लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ओबीसी और एससी वर्ग का लाभ भी पहले से मिल रहा है, जिसके बाद उन्हें यह दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए या उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही कुकी समुदाय का मानना है कि,



राज्य द्वारा उनके सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की भी रक्षा की जा रही है।

कुकी आरोप लगाते हैं कि मैतेई कट्टरपंथी समूहों ने इंफाल और उसके आसपास रह रहे अल्पसंख़्यक परिवारों पर हमले किए, वहीं मैतेई का कहना है कि रैली निकाल रहे कुकी समुदायों के लोगों ने हिंसा की शुरुआत की।

अशांति क्यों उत्पन्न हुई? दशकों लंबे इस विवाद में उच्च न्यायालय से फ़ैसला आने के बाद 2 मई को अखिल जनजातीय छात्र संगठन मणिपुर ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, इसके बाद 3 मई को कई पहाड़ी ज़िलों में भी प्रदर्शन किया गया। तथा चार मई को जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, मैतेई पुरुषों की भीड़ ने दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया, जिसकी वीडियो भी बनाई गई और उसे वायरल भी किया गया। दोनों महिलाओं में से छोटी महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार भी किया गया और उसके पिता और भाई की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने बरसों पुरानी आग में घी डालने का काम किया जो अपनी पूरी शक्ति के साथ भड़क उठी और राह में आने वाले न जाने कितने बेक़सूर लोगों को अपनी चपेट में ले गई। लगभग साठ हज़ार से अधिक लोग बेघर हो गए, जिनका अभी तक कोई स्थाई पता मालूम नहीं चलता, वे भटक रहे हैं और न जाने कब तक भटकेंगे। हिंसा इतनी बढ़ गई मानों देश के एक ही राज्य के अंदर गृह युद्ध चल रहा हो।

हिंसा में अन्य कारण भी शामिल : ऊपर की घटनाएँ हिंसा का प्रमुख कारण रही थीं, साथ ही इसमें अन्य घटनायें भी शामिल हैं जिसके कारण भयावह हिंसा ने जन्म लिया। असंतोष का एक प्रमुख कारण अगस्त 2022 से राज्य सरकार द्वारा दिया गया एक नोटिस भी था। जिसमें चुराचंदपुर-खौपुम संरक्षित वन क्षेत्र के अड़तीस गाँवों को अवैध बस्तियाँ



करार दे दिया गया था। सरकार ने इन्हें ख़ाली कराने का आदेश दिया, जिसे सरकार वन्य क्षेत्र को अफ़ीम की अवैध खेती से सुरक्षित रखना चाहती थी। या यूँ कहें कि अफ़ीम की खेती को रोकने की आड़ में सरकार ने चुराचंदपुर ज़िले में कुकी लोगों को बड़े पैमाने पर बेदख़ल करने का प्रयास किया। जो बाद में चलकर हिंसा के मुख्य कारणों में से उपजा। कुकी समुदाय का कहना है कि उनका निष्कासन अनुच्छेद 371C का उलंघन करता है, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को कुछ प्रशासनिक स्वायनता मिलती हैं।

पड़ोसी क्षेत्रों से प्रवासियों की घुसपैठ भी हिंसा का एक कारण रहा था, म्यांमार में फ़रवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के कारण भारत के पूर्वोत्तर में शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ था, जिससे मैतेई नेताओं ने आरोप लगाया था कि चुराचंदपुर में अचानक गाँवों की बाढ़ आ गई है।

हिंसा का ज़िम्मेदार किसे माना जाये? मणिपुर में हिंसा दो महीने से अधिक चली और एक बार फिर गुजरात की तरह जलते हुए राज्य में भाजपा की सरकार मौजूद थी। पीएम मोदी ने 78 दिनों बाद इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। एन बीरेन सिंह की सरकार की कुछ गतिविधियों के कारण हिंसा को बल मिला जिसपर सरकार क़ाबू पाने में लगातार असक्षम रही थी।केंद्र सरकार की ओर से भी हिंसा को रोकने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी थी। हिंसा जनजाति के लोगों को पहाड़ियों के जंगलों से बेदख़ल करने से भड़की थी। घर से बेदख़ल किये जाने का डर और पीड़ा हर कोई महसूस कर सकता है, जो यह आदिवासी कर रहे थे। सरकार कह रही थी कि अफ़ीम की खेती पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर होती है, और इसे रोकने के लिये अवैध बस्तियों को हटाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में नशीली दवाओं के तस्कर भी मौजूद हैं।

जिन घटनाओं के कारण राज्य में हिंसा हुई, वे नीति निर्माण में सदियों पुरानी ख़ामियों को फिर से उजागर करती नज़र आती हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जब 27 अप्रैल को ओपन जिम का उद्घाटन करने वाले थे, उस जिम में कथित तौर पर आग लगा दी गई थी। इसके बाद प्रभावित इलाक़ों में धारा एक सौ चवालीस लागू कर दी गई थी, और पूरे राज्य में पाँच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएँ भी बंद कर दी गई थीं। हिंसा भड़कने के बाद हर तरफ़ तोड़-फोड़ की गई, चाहे वह मंदिर हो या चर्च, अस्पताल कॉलेज, गाड़ियों, दुकानों किसी को भी नहीं छोड़ा गया। मणिपुर के लोगों में यह भय भी था कि, पुलिस और प्रशासन की मदद के बिना इतनी तोड़फोड़ करना आसान नहीं है, जो पीड़ित लोगों को अलग चिंता की ओर इशारा कर रहा था। जब सरकार कुछ न कर सकी तो नागरिकों ने ख़ुद हथियार उठा लिए, एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून के प्यासे बन गए। जहां तहां लहु, लाशें, बर्बादी का मंजर बहुत ख़ौफ़नाक था।

हालाँकि तीन महीनों बाद सरकार एक्शन में आयी, और जांच के लिये तीन सदस्यी आयोग का गठन किया गया है, पैनल की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। जांच आयोग मणिपुर में दंगा, हिंसा के कारणों, प्रसार की जांच करेगा। गृह मंत्रालय ने जांच आयोग की घोषणा के साथ बताया कि, पैनल को छह महीने के भीतर जाँच रिपोर्ट सौंपनी होगी। ▪


परिभाषा

छत्तीसगढ़ की जीवन शैली का अहम हिस्सा है 'बोरे बासी'



छत्तीसगढ़ में बासी को मुख्य आहार माना गया है। बासी का सेवन समाज के हर तबके के लोग करते हैं। रात के बचे भात को पानी में डुबाकर रख देना और नाश्ता के तौर पर या दोपहर के खाने के समय इसका सेवन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए इसे सुलभ व्यंजन भी माना गया है। विशेषकर गर्मी के मौसम में बोरे और बासी को बहुतायत लोग खाना पसंद करते हैं।

▪ **नसीम खान**

छत्तीसगढ़ में एक प्रसिद्ध कहावत है - 'बासी के नून नइ हटय', इसका कहावत का हिन्दी भावार्थ है कि, बासी में मिला हुआ नमक नहीं निकल सकता। इस कहावत का उपयोग सम्मान के परिपेक्ष्य में किया जाता है। सवाल उठ सकता है कि आखिर यहां बात 'बासी' की क्यों हो रही है, तो बात जब किसी प्रदेश की होती है तो साथ में बात वहां के खान-पान की भी होती है। छत्तीसगढ़ में खान-पान के साथ जीवनशैली का एक अहम हिस्सा है 'बासी'। शायद इसलिए भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में छत्तीसगढ़ी परिवेश को दिखाने के लिए फिल्म के पात्रों को 'बासी' खाते दिखाया जाता है।

छत्तीसगढ़ियों के जीवन में 'बासी' इतना घुला-मिला है कि समय बताने के लिए भी सांकेतिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। जब सुबह कहीं जाने की बात होती है तो बासी खाकर निकलने का जवाब मिलता है, इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलेगा। वहीं दोपहर के वक्त बासी खाने के समय की बात हो तो मान लिया जाता है कि लगभग 1 बजे का समय है। 'बासी खाय के बेरा', से पता चल जाता है कि यह लंच का समय है।

बोरे और बासी बनाने की विधि

जहां बाकी व्यंजनों को बनाने के कई झंझट हैं, वहीं बोरे और बासी बनाने की विधि बहुत ही सरल है। न तो इसे सीखने की जरूरत है और न ही विशेष तैयारी की। खास बात यह है कि बासी बनाने के लिए विशेष सामग्री की भी जरूरत नहीं है। बोरे और बासी बनाने के लिए पका हुआ चावल (भात) और सादे पानी की जरूरत है। यहां बोरे और बासी इसलिए लिखा जा रहा है कि मूल रूप से दोनों की प्रकृति में अंतर है।

बोरे से अर्थ, जहां तत्काल चुरे हुए भात (चावल) को पानी में डुबाकर खाना है। वहीं बासी एक पूरी रात या दिन भर भात (चावल) को पानी में डुबाकर रखा जाना होता है। कई लोग भात के पसिया (माड़) को भी भात और पानी के साथ मिलाने में इस्तेमाल करते हैं। यह पौष्टिक भी होता है और स्वादिष्ट भी। बोरे और बासी को खाने के वक्त उसमें लोग स्वादानुसार नमक का उपयोग करते हैं।

प्याज, अचार और भाजी बढ़ा देते हैं स्वाद

बासी के साथ आमतौर पर प्याज खाने की परम्परा सी रही है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में प्याज को गोंदली के नाम से जाना जाता है। वहीं बोरे या बासी के साथ आम के अचार, भाजी जैसी सहायक चीजें बोरे और बासी के स्वाद को बढ़ा देते हैं। दरअसल गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ में भाजी की बहुतायत होती है। इन भाजियों में प्रमुख रूप से चेंच भाजी, कांदा भाजी, पटवा भाजी, बोहार भाजी, लाखड़ी भाजी बहुतायत में उपजती है। इन भाजियों के साथ बासी का स्वाद दुगुना हो जाता है। इधर बोरे को दही में डूबाकर भी खाया जाता है। गांव-देहातों में मसूर की सब्जी के साथ बासी का सेवन करने की भी परंपरा है। कुछ लोग बोरे-बासी के साथ में बड़ी-बिजौरी भी स्वाद के लिए खाते हैं।

बोरे-बासी खाने से लाभ

बोरे-बासी के सेवन से नुकसान तो नहीं लाभ कई हैं। इसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में शरीर को शीतलता मिलती है। पानी की ज्यादा मात्रा होने के कारण मूत्र उत्सर्जन क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे उच्च रक्तचाप नियंत्रण करने में मदद मिलती है। बासी पाचन क्रिया को सुधारने के साथ पाचन को नियंत्रित भी रखता है। गैस या कब्ज की समस्या वाले लोगों के लिए यह रामबाण खाद्य है। बासी एक प्रकार से डाइयूरेटिक का काम करता है, अर्थ यह है कि बासी में पानी की भरपूर मात्रा होने के कारण पेशाब ज्यादा लगती है, यही कारण है कि नियमित रूप से बासी का सेवन किया जाए तो मूत्र संस्थान में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। चेहरे में ताजगी, शरीर में स्फूर्ति रहती है। बासी के साथ माड़ और पानी से मांसपेशियों को पोषण भी मिलता है। बासी खाने से मोटापा भी दूर भागता है। बासी का सेवन अनिद्रा की बीमारी से भी बचाता है। ऐसा माना जाता है कि बासी खाने से होंठ नहीं फटते हैं। मुंह में छाले की समस्या नहीं होती है।

बासी का पोषक मूल्य

बासी में मुख्य रूप से संपूर्ण पोषक तत्वों का समावेश मिलता है। बासी में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स, मुख्य रूप से विटामिन बी-12, खनिज लवण और जल की बहुतायत होती है। ताजे बने चावल (भात) की अपेक्षा इसमें करीब 60 फीसदी कैलोरी ज्यादा होती है। बासी को संतुलित आहार कहा जा सकता है। दूसरी ओर बासी के साथ हमेशा भाजी खाया जाता है। पोषक मूल्यों के लिहाज से भाजी में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसके अलावा बासी के साथ दही या मही सेवन किया जाता है। दही या मही में भारी मात्रा में कैल्शियम मौजूद रहते हैं। संतुलित पोषक मूल्य भी प्रदान करता है। ▪

पुस्तक समीक्षा

सोशलिस्ट - मुलायम सिंह यादव



किताब – सोशलिस्टः मुलायम सिंह यादव
लेखक – फ्रैंक हुज़ूर
समीक्षक – वसीम अकरम
मूल्य – 499

जब एक इंसान अपनी जिंदगी को सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आंदोलन की राह पकड़कर राजनीति की मंजिल तय करता है तो उसकी निजी जिंदगी कहीं गुम सी हो जाती है और उसकी राजनीतिक जिंदगी उसके व्यक्तित्व पर हावी हो जाती है। आगे चलकर यही राजनीतिक जिंदगी उसकी पहचान बनती है। इस बात को अंग्रेजी के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक फ्रैंक हुज़ूर ने बड़ी ही शिद्दत से महसूस किया और पाया कि सार्वजनिक जीवन जी रहे एक व्यक्ति की राजनीतिक जीवनी बहुत सारे अनछुए पहलू भी सामने आ सकते हैं। इसी सिलसिले में फ्रैंक हुज़ूर ने 'नेताजी' के नाम से मशहूर राजनेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक जीवनी लिखने की परिकल्पना को साकार किया। इसके लिए उन्हें नेताजी से जुड़े बेशुमार लोगों से मिलना पड़ा और उनसे उन अनछुए पहलुओं पर बात करनी पड़ी जिनके बारे में भारत का राजनीतिक तबका भी ज्यादा कुछ नहीं जानता। जब यह किताब तैयार हुई तो फ्रैंक ने इसका शीर्षक रखा– 'सोशलिस्टः मुलायम सिंह यादव'। यह किताब मूलतः अंग्रेजी में है जिसका अनुवाद किया है नीरज कुमार ने।

हिंद युग्म प्रकाशन से छपी कुल 39 अध्यायों वाली इस किताब में कुछ अध्याय तो इतने प्रासंगिक हं कि उन्हें देश-दुनिया के विश्वविद्यालयों के राजनीतिक विभागों में पढ़ाए जाने की जरूरत है। उन अध्यायों में– नन्हा समाजवादी, शहनाई की गूँज, सियासत भी रोमांस भी, सियासत और जंगबाजी, समाजवाद की राह, किसानों का मसीहा, क्रांति रथ का घूमता पहिया, गुलाब क्रांति, मंडल और कमंडल की आग, मंदिर या मस्जिद, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, धर्मनिरपेक्षता का रक्षा कवच, कार्यकर्ताओं के अभिभावक, जमीन से निकला मजबूत समाजवादी, और मुलायम बनाम लेनिन आदि प्रमुख हैं। इन अध्यायों के शीर्षक से यह साफ जाहिर है कि नेताजी की राजनीतिक राह बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी। और जाहिर है, मुश्किल राहें ही तो आगे आने वाले पथिकों के लिए बेहतरीन मार्गदर्शक बनती हैं। इसलिए यह किताब राजनीति के विद्यार्थियों के लिए, मीडिया के क्षेत्र में राजनीतिक अध्ययनों के लिए और शोध छात्रों के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है।

मुलायम की राजनीतिक शख्सियत के अनछुए पहलुओं को सामने लाने के लिए लेखक फ्रैंक हुज़ूर ने एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठित और सम्मानित शिक्षाविदों, सांसदों एवं विधायकों के साथ नेताजी के साथ काम कर चुके उनके कार्यकर्ताओं के दिल की बातों को जानने की जो कोशिश इस किताब में की है, वह बहुत ही बड़े कौशल का काम है। भारतीय राजनीति का आदर्श चेहरा बन चुके नेताजी की महानता के पीछे उनके जो छुपे हुए संघर्ष हैं, उनकी जो मेहनत है, उनका जो विजन है, उनकी जो सकारात्मकता है, उन सबको बाहर लाकर फ्रैंक ने शब्दों का जो गुच्छा तैयार किया है, वह बहुत ही प्रेरणादायी है। इसके साथ ही इस किताब में मुलायम की कुछ तस्वीरें भी हैं जिनमें उनके साथ कुछ राजनीतिक तो कुछ गैर-राजनीतिक लोग मौजूद हैं। ▪

लेखक परिचय

बिहार के बक्सर में जन्मे फ्रैंक हुज़ूर मूलतः अंग्रेजी के लेखक और जर्नलिस्ट हैं। राँची के संट जेवियर्स, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से शिक्षा प्राप्त फ्रैंक अपनी इंगलिश पोएट्री और ड्रामा (हिटलर इन लव विथ मैडोना) से चर्चित हुए। इसके बाद इन्होंने नाटक 'ब्लड इज बर्निंग' और 'स्टाइल है लालू की जिंदगी' लिखा। मात्र बीस वर्ष की उम्र में अंग्रेजी मैगजीन 'यूटोपिया' के संपादक बनने वाले फ्रैंक ने प्रख्यात क्रिकेटर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की राजनीतिक जीवनी 'इमरान वर्सेस इमरानः दी अनटोल्ड स्टोरी' भी लिखी है। मुलायम सिंह की राजनीतिक जीवनी 'सोशलिस्टः मुलायम सिंह यादव' लिखने के बाद फ्रैंक अपने पहले नॉवेल पर काम कर रहे हैं।

सदस्यता रसीद

पत्राचार का पता : देशराज एडवोकेट, 12बी/284, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ (उ.प्र.) प्रतिशत मो.: 9415767238

मैं बसावन इंडिया राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के लिए सदस्यता ले रहा / रही हूं।

श्री / श्रीमती : ....

पता पिन कोड सहित : ....

मोबाईल नं. : .... ईमेल आईडी : ....

नगद राशि शब्दों में : ....

PhonePe

ACCEPTED HERE

☐ वार्षिक ₹ 500/- ☐ 2 वर्ष ₹ 1000/- ☐ 5 वर्ष ₹ 2500/-

☐ 10 वर्ष ₹ 5000/- ☐ आजीवन ₹ 10, 000/-

Bank Name	:	State Bank of India Main Branch, Azamgarh (U.P.)
AC Holder Name	:	Basavan India
AC No.	:	40640205456
IFSC Code	:	SBIN0000014

प्राप्तकर्ता का नाम हस्ताक्षर

Rate Card

Ad On Page	Rate	Colour/BW	Print Area
Full Page Front Inside	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back Cover	40,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Full Page Back In Side	30,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	20,000/-	Colour	19 cm x 26cm
Half Page	10,000/-	B/W	19 cm x 13cm
Quarter Page	10,000/-	Colour	123.5 Sqm
Quarter Page	5,000/-	B/W	123.5 Sqm
1/8 Page	5,000/-	Colour	61.75 Sqm
1/8 Page	3,000/-	B/W	61.75 Sqm

विज्ञापन के लिए संपर्क करें : +91 9415767238, +91 9453171770

बसावन नामा

आपके सामने प्रस्तुत है हमारे पिछले अंकों के बारे में हमारे सुधिपाठकों की प्रतिक्रिया जो कि हमारे पास विभिन्न माध्यमों से भेजी गई है।

सामाजिक समस्याओं के आकलन और समायोजन के साथ बसावन इंडिया की प्रस्तुति अपने आप में बहुत ही रोमांचक होती है। किसी भी सामाजिक मुद्दे का पोस्टमार्टम बहुत ही सरल और पारदर्शी तरीके से आप लोगों द्वारा की जाती है, हम लोगों को बसावन इंडिया को पढ़ने का नशा है। कृपया बसावन इंडिया के रेगुलर करें।

अविप्सा सिंह
केशवनगर लखनऊ

बसावन इंडिया की 'हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं?' की पीडीएफ कापी पढ़ने को मिली। मुझे इस बात का बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पत्रिका में हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट कर देखा गया है, जबकि दूसरे धर्मों की जातियों के बारे में पत्रिका मौन है। पत्रिका में छपे लेखों से हिंदू धर्म की एकता हो ठेस पहुंची है।

प्रदीप शर्मा
हिमांचल प्रदेश

सामाजिक पत्रिका का कार्य समाज को राजनीति और सामाजिक सच्चाइयों से अवगत कराना है बसावन इंडिया अपने इस कर्तव्य को निभा रही है बसावन इंडिया इसी प्रकार समाज का मार्ग प्रशस्त करती रहे शुभकामनाएं!

डॉ दिवाकर यादव
बस्ती उत्तर प्रदेश

मैगजीन प्राप्ति के लिए संपर्क करें

एडवोकेट देशराज (लखनऊ)
9415767238

परिभाषा (दिल्ली एनसीआर)
8826063330

तेजबहादुर (भोपाल)
9406955327

कृष्णा पैकरा (अम्बिकापुर)
8839884273

संजीत बर्मन (बिलासपुर)
9754737875

कोमल प्रसाद (कुशीनगर)
9565869539

राम सिंह यादव (आजमगढ़)
9415085600, 9454479600

अनिल दीप चौधरी (जौनपुर)
9554687948

प्रमोद कुमार (जौनपुर/खुटहन)
9506473500

प्रदीप चौहान (जौनपुर/सदर)
7985658300

प्रवीन कुमार (गाजीपुर)
9415888054

संजय कुमार (चंदौली)
9415978381

मनोज कुमार (सोनभद्र)
9005800506

विनय कुमार (बलिया)
9415659396

विजय कुमार (वाराणसी)
9506722313

अरविंद कुमार गदर (प्रयागराज झूसी)
7651961448

प्रयागराज में लक्ष्मी चौराहे पर हीना पुस्तक केंद्र पर भी उपलब्ध है।

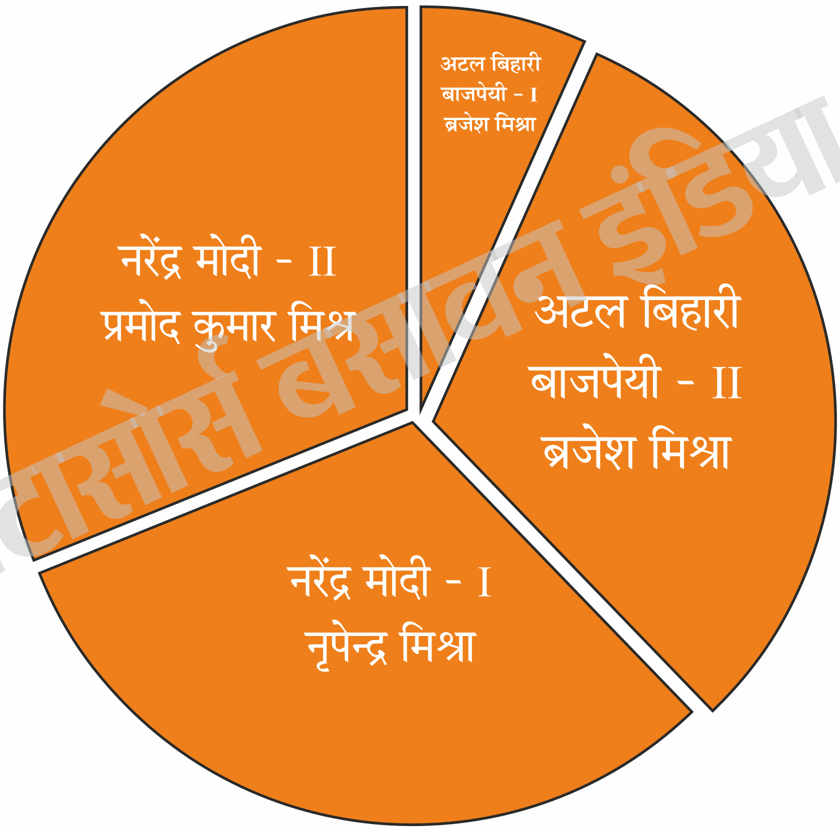


राधा पुस्तक वाटिका
यू.जी.एफ-5, अनन्त टावर, पहाड़पुर, चौराहा,
कुर्सी रोड, जानकीपुरम, लखनऊ (उ.प्र.)
नर्सरी इण्टरमीडिएट तक
C.B.S.E., I.C.S.E. एवं
UP Board की किताबें
9532227400 | 9621931008 | 9935004236
स्टेशनरी व स्पोर्ट्स के थोक विक्रेता



सभी देशवासियों को
अशोक धम्म विजय दिवस
की बहुत बहुत बधाई
एवं शुभकामनाएं
रोहित यादव
युवा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता

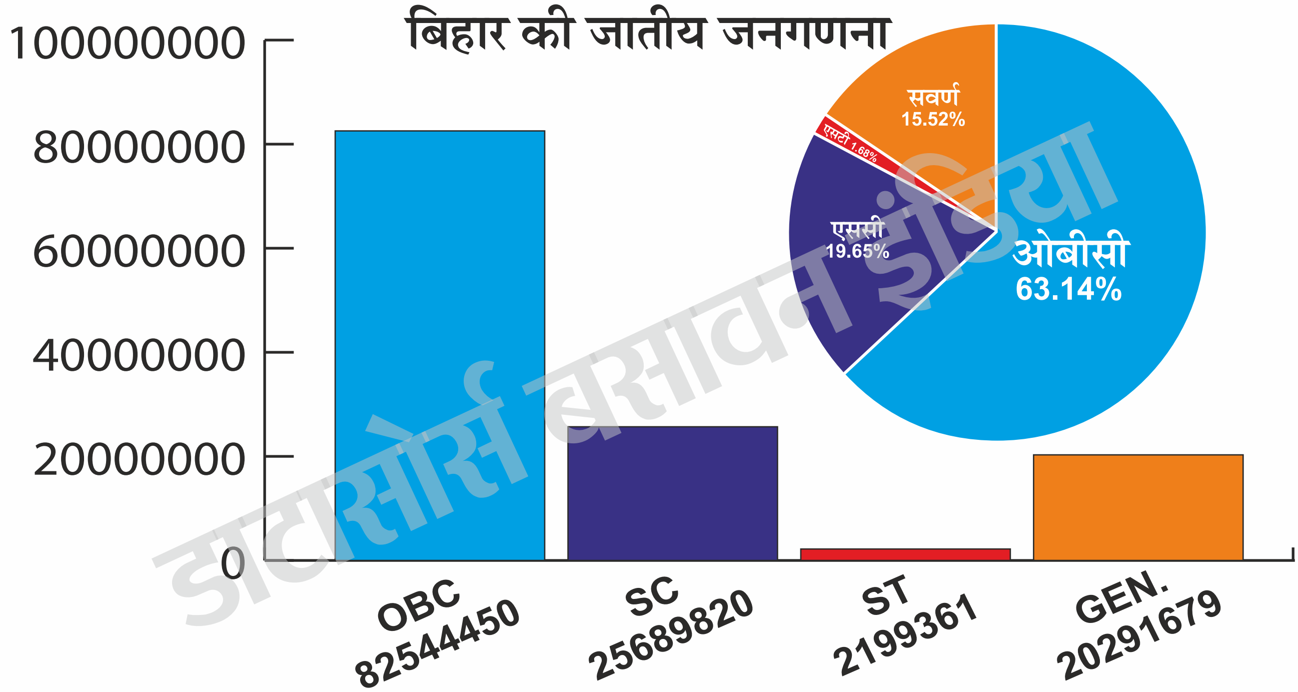
भाजपा का मिश्रा कनेक्शन



16 साल बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव

ग्राफ के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 21 पढ़ें।

बिहार की जातीय जनगणना



ग्राफ एवं पाई चार्ट के विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ 4 पढ़ें।